अध्याय-5: वित्त विभाग

5 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

5.1 प्रस्तावना

हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) की शुरुआत 2010 में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा की गई थी।

इस परियोजना से बजट प्रक्रियाओं को और अधिक दक्ष बनाना, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करना, खातों के वास्तविक समय के समाधान को बढ़ावा देना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को मजबूत करना, खातों की तैयारी में सटीकता और समयबद्धता में सुधार करना, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना और बेहतर वित्तीय प्रबंधन अपेक्षित था।

यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनके खजाना कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने और खजानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वित्त विभागों, महालेखाकार (ए.जी.) कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), एजेंसी बैंकों तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) की केंद्रीय स्कीम योजना मॉनिटरिंग प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.) के मध्य डेटा साझा करने के लिए अपेक्षित इंटरफ़ेस प्रदान करने में सहायता करने के लिए थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य डेटा केंद्रों में खजाना डेटा को निर्बाध रूप से फीड करने और मिलान करने की न्यूनतम आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप मिसिंग क्रेडिट के मामले कम होंगे और पेंशन भुगतान आदि में सुविधा होगी।

राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन, वित्त विभाग के अंतर्गत निदेशालय खजाना एवं लेखा, हरियाणा द्वारा किया गया था और इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र-हरियाणा राज्य इकाई (एन.आई.सी.-एच.एस.यू.) द्वारा विकसित किया गया था।

5.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सर्वर की विशिष्टताएं

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एचपीई डीएल 365 जेन 10, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2022, एंटरप्राइजेज कोर एलएसए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर डीसी कोर एलएसए के साथ रैक सर्वर शामिल हैं।

5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मुख्य रूप से पांच मॉड्यूल, अर्थात ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस.); ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (ई-ग्रास); ई-बिलिंग; ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) और ई-पेंशन, शामिल हैं। विभाग ने "ऐज-इज प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट[1]" और "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट[2]" तैयार किया था। "ऐज-इज प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" का उद्देश्य वित्त

---

[1] स्थापना की तिथि: 18 दिसंबर 2012

[2] स्थापना की तिथि: 07 फरवरी 2013

विभाग और अन्य संबंधित विभागों में तत्कालीन वर्तमान प्रक्रियाओं और प्रणालियों को कैप्चर करना और वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सुधार के मुद्दों और क्षेत्रों की पहचान करना था जो एकीकृत वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली का खाका तैयार करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन में तत्कालीन वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों को कैप्चर करना, विभिन्न मैनुअल, आंशिक या पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाओं की पहचान करना भी शामिल था। "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" का उद्देश्य एप्लिकेशनों में प्रक्रिया प्रवाह और एप्लिकेशनों के मध्य संबंधों सहित संशोधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रस्ताव/सुझाव देना था।

लेखापरीक्षा ने "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" के अंतर्गत संकल्पित कार्यात्मकताओं के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पांच मॉड्यूल के उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफेस की जांच की। उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफ़ेस से संबंधित परिणामों को पैरा 5.7.2 में शामिल किया गया है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का डेटा डंप (अप्रैल 2021 तक) लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध था। लेखापरीक्षा ने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक (सी.ए.ए.टी.) (आई.डी.ई.ए., टेबल्यू) का उपयोग करके अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के डेटा का विश्लेषण करके निदेशालय, खजाना एवं लेखा (डी.टी.ए.), हरियाणा सरकार में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पांच मॉड्यूल की जांच यह आकलन करने के लिए की कि क्या सिस्टम में अपेक्षित नियंत्रण थे। लेखापरीक्षा के दौरान अध्ययन किए गए मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.1** के अनुसार है।

तालिका 5.1: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत मॉड्यूल का विवरण

क्र.सं.		उद्देश्य	से विद्यमान
1.	ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस.)	बजट मॉड्यूल की संकल्पना प्राप्तियों/योजना/गैर-योजना व्यय के लिए बजट अनुमानों का प्रबंध करने लिए की गई है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान वास्तविक हैं, बजट तैयारी मॉड्यूल को विभिन्न प्रक्रिया कार्यों के साथ एकीकृत करके तैयार किया गया है। यह प्रणाली वित्त विभाग, बजट नियंत्रण प्राधिकारी (बी.सी.ए.)/ बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को बजट संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाएगी।	मार्च 2010
2.	ऑनलाइन सरकारी प्राप्ति लेखांकन प्रणाली (ई-ग्रास);	यह मॉड्यूल धन के प्रत्येक प्रवाह (सरकार द्वारा राजस्व (कर/कर-भिन्न आदि) के रूप में प्राप्त धन) का ध्यान रखता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण राजकोष में राजस्व का हिस्सा बनते हैं।	दिसंबर 2013
3.	ई-बिलिंग	इस प्रणाली में बिल तैयार करते समय बजट उपलब्धता की जांच करने का प्रावधान है, जो एक केंद्रीय स्थान पर स्थित है और सभी स्थानों पर सरकारी निर्देशों का पालन करने में मदद करता है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को भी सक्षम बनाती है जो यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान केवल वास्तविक आदाताओं को ही वितरित किया जाए।	फरवरी 2012
4.	ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.)	भुगतान मॉड्यूल खजाने में बिल जमा करने पर धन जारी करने/वितरण करने/निर्मुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। खजाना इन बिलों को संसाधित करता है और विशेष बजट शीर्ष के अंतर्गत बजट को डेबिट करके इन बिलों के विरुद्ध चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जारी करता है।	अप्रैल 2013
5.	ई-पेंशन	यह प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाओं (ए.आई.एस.) और अक्तूबर 2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए राजनेताओं सहित अपने सभी पेंशनरों को हरियाणा राज्य की पेंशन के वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह प्रणाली पेंशनर के लंबित विभिन्न बकाया की वसूली से संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करती है। इसके अलावा, यह निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयकर कटौती, आजीवन बकाया, पेंशन बकाया, चिकित्सा बकाया आदि का भी ध्यान रखती है।	अक्तूबर 2012

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा मई 2021 तथा जुलाई 2022 के मध्य की गई थी। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया गया था। प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार/विभाग को जारी किया गया था (अक्तूबर 2022) और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) सहित विभाग/सरकार के साथ दिनांक 10 जनवरी 2023 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उनके उत्तर/दृष्टिकोण पर विचार किया गया है और इस प्रारूप प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

5.4 संगठनात्मक संरचना[3]

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार एक साइबर खजाना सहित 25 जिला खजानों के माध्यम से राज्य में निदेशालय, खजाना एवं लेखा के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। खजाना, महानिदेशक (खजाना एवं लेखा) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिसमें शीर्ष इकाई हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव होते हैं जैसा कि **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है।

चित्र 5.1: खजाना एवं लेखा निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा

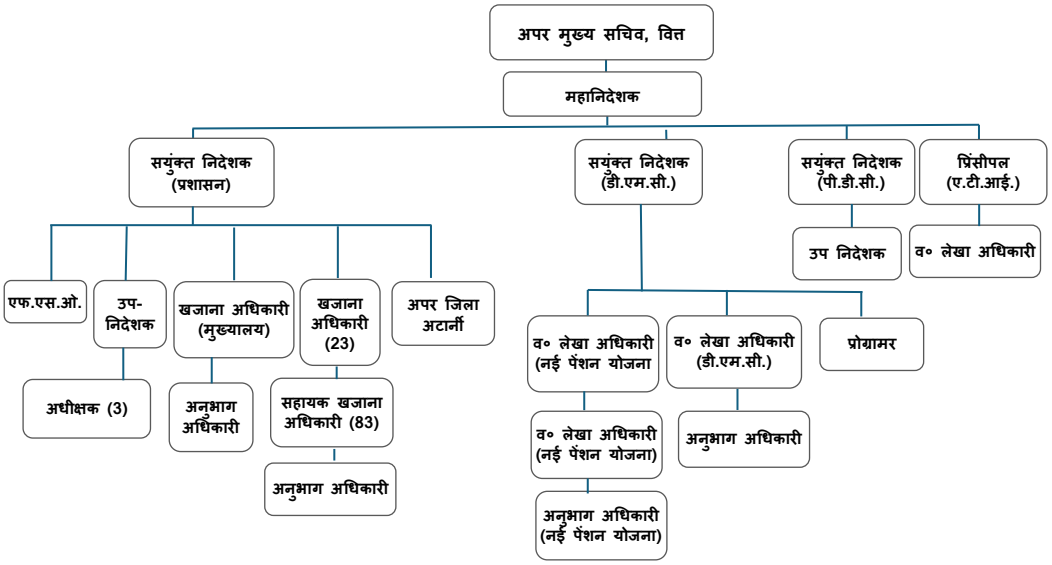

5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

i. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उद्देश्य विभाग के व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप है;

ii. संकल्पित कार्यात्मकताओं को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में शामिल किया गया था;

iii. प्रणाली में पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण विद्यमान थे तथा

[3] पी.डी.सी. - पेंशन संवितरण कक्ष; डी.एम.सी. - डेटा प्रबंधन कक्ष; ए.टी.आई. - लेखा प्रशिक्षण संस्थान; एफ.एस.ओ. - फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर, एन.पी.एस. - नई पेंशन योजना (हरियाणा नई पेंशन योजना, 2008)।

iv. भूमिका आधारित पहुंच, व्यापार निरंतरता, आपदा वसूली योजना और साइबर सुरक्षा सहित सूचना प्रणाली (आई.एस.) सुरक्षा लागू थी।

5.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किए गए थे:

i. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "ऐज-इज" तथा " टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट";

ii. बजट मैनुअल;

iii. राज्य खजाना नियम;

iv. सरकारी लेखांकन नियम, 1990;

v. पंजाब वित्तीय नियम (हरियाणा में यथा लागू);

vi. हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016;

vii. मॉड्यूल का मैनुअल अर्थात ई-पेंशन, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली, ई-बिलिंग, ई-ग्रास और ओ.बी.एम.ए.एस.;

viii. आयकर अधिनियम, 1962;

ix. लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) द्वारा जारी संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची;

x. हरियाणा नगरपालिका (एच.एम.) अधिनियम और हरियाणा नगर निगम अधिनियम;

xi. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015; तथा

xii. सरकार/विभाग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश/दिशा-निर्देश।

आभार एवं बाधाएं

लेखापरीक्षा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और निदेशालय, खजाना एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अपेक्षित जानकारी और अभिलेख उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। लेखापरीक्षा को बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) सहित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल के कार्यान्वयन के दौरान किए गए विकास प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रक्रिया और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं था।

5.7 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

5.7.1 दस्तावेजीकरण समीक्षा

5.7.1.1 व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उद्देश्यों का संरेखण

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली परियोजना को कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर और दक्ष तरीके से व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति

की संकल्पना की गई थी। इन उद्देश्यों के विरुद्ध प्राप्तियों का आकलन करने के लिए, उनकी संबंधित कार्यात्मकताओं के साथ-साथ प्रक्रियाओं की पहचान करने और उन्हें संबंधित उद्देश्य से जोड़ने, प्राप्ति को जांचने के लिए मानक स्थापित करने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप बनाना अपेक्षित होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान (मई 2021 और जुलाई 2022 के मध्य) यह देखा गया कि विभाग ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका, जिनमें कम्प्यूटरीकरण के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप और ***परिशिष्ट XVIII*** में उल्लिखित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली उद्देश्यों की प्राप्ति को मापने के लिए बेंचमार्क का वर्णन किया गया हो। किसी भी बेंचमार्क के अभाव में, विभाग कम्प्यूटरीकरण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्तियों की जांच नहीं कर सका।

जनवरी 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और मार्च 2023 में बताया कि कम्प्यूटरीकरण की प्राप्तियों को जांचने के लिए इस संबंध में बेंचमार्क परिभाषित किए जाएंगे।

5.7.1.2 व्यावसायिक नियमों में संशोधन

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" प्रणाली में खजाना नियमों/उप-खजाना नियमों (टी.आर./एस.टी.आर.) में कुछ बदलाव/संशोधन की संकल्पना की गई है जैसा कि ***परिशिष्ट XIX*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जून 2022) कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आज तक (फरवरी 2024) इन संकल्पित परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली कोई अधिसूचना/आदेश जारी नहीं किया गया है।

एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि इस संबंध में एक माह के अंदर एक समिति गठित की जाएगी। खजाना नियमों में अपेक्षित परिवर्तनों का आकलन करने के लिए सितंबर 2023 में समिति का गठन किया गया है।

5.7.2 कार्यात्मकताओं (उपयोगकर्ता स्क्रीन इंटरफ़ेस) का कार्यान्वयन न होना

निदेशालय, खजाना एवं लेखा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करते समय शामिल की जाने वाली मॉड्यूल-वार कार्यात्मकताओं को सूचीबद्ध करते हुए "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" तैयार किया था।

प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग के अधिकारियों और राष्ट्रीय सूचना केंद्र-हरियाणा राज्य इकाई की विकास टीम ने मार्गदर्शन टूल के रूप में डिजाइन किए गए "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में संकल्पित कार्यात्मकताओं के संदर्भ में प्रणाली के विकास हेतु सिस्टम में उपलब्ध फ्रंट-एंड कार्यात्मकताओं का प्रदर्शन किया। मॉड्यूल की इस पूर्वाभ्यास कार्यवाही के दौरान, यह देखा गया था कि "टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" के अंतर्गत कुल 518 कार्यात्मकताओं में से 284 कार्यात्मकताएं प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी जैसा कि **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

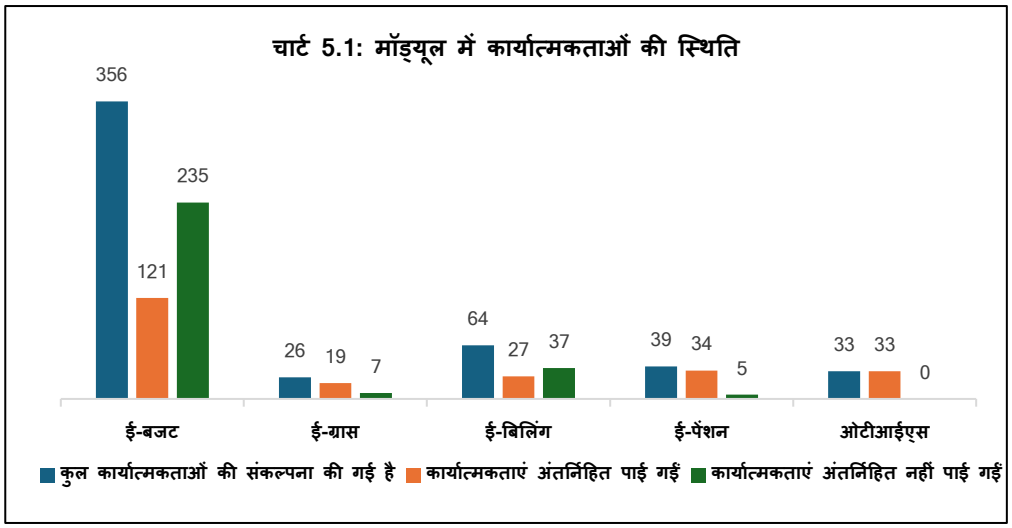

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह देखा गया कि यद्यपि एकल नोडल एजेंसी को आने वाले लेन-देन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रूट किए जाते हैं, तथापि, एकल नोडल एजेंसी से कार्यान्वयन एजेंसी को जाने वाले बाहरी लेन-देन और इन एजेंसियों द्वारा किए गए अंतिम व्यय को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कैप्चर नहीं किया जाता है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सभी मॉड्यूल में पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण मानी जाने वाली और विभिन्न मॉड्यूल में अंतर्निहित न पाई जाने वाली कार्यात्मकताओं का विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है:

5.7.2.1 ई-बजट

1. ऋण प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.)

क. ऋण, पुनर्भुगतान अनुसूची, भुगतान की देय तिथि, निवेश योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋण प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी थी और इसे वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना विभाग और महालेखाकार (ए.जी.) के साथ एकीकृत किया जाना था।

ऋण प्रबंधन प्रणाली के चार प्रमुख घटक हैं बाजार से उधार, केंद्र सरकार या वित्तीय संस्थानों से ऋण/अनुदान, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां और निवेश।

ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से या सीधे हरियाणा सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ऋण प्राप्त करने के बाद उनके विवरण वित्त विभाग द्वारा ऋण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में दर्ज किए जाते हैं जो प्रत्येक ऋण के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची की गणना करता है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, महालेखाकार या राज्य द्वारा किया जाता है और वित्त विभाग (एफ.डी.), हरियाणा के पास भेजा जाता है जो ऋण प्रबंधन प्रणाली में पुनर्भुगतान का विवरण दर्ज करता है। ऋण प्रबंधन प्रणाली ऋण खाते, राज्य देयता खाते और राज्य संवितरण खाते को अद्यतन करती है।

यह देखा गया था कि ऋण प्रबंधन प्रणाली को सभी संकल्पित कार्यात्मकताओं के साथ विकसित नहीं किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और महालेखाकार के साथ एकीकृत नहीं थी। इन

ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या महालेखाकार द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण वित्त विभाग, हरियाणा को ई-मेल या ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से भेजा जाता है और ऋण प्रबंधन प्रणाली में स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किया जाता है। यह खातों की वास्तविक समय स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। आगे, चूंकि ऋण के क्रेडिट और उसके पुनर्भुगतान का विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है, इसलिए डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों की संभावना होती है। ऋण प्रबंधन प्रणाली ऋण किस्त पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान के बारे में पहले से अलर्ट जनरेट नहीं करती है। किसी दस्तावेज के अभाव में, संबंधित डेटा में किए गए सुधारों के संबंध में लॉग को ट्रैक नहीं किया जा सका।

ख. ऋण का पुनर्भुगतान या वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए ब्याज का भुगतान जहां पुनर्भुगतान हरियाणा राज्य द्वारा किया जाता है: प्रणाली में वित्त विभाग के प्रतिनिधि को ऋण के कुछ विवरण भरकर ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान की मांग सृजित करने एवं अपलोड करने और फिर इस मांग को बिल तैयार करने के लिए वित्त विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी/महालेखाकार को भेजने की अनुमति देने की कार्यक्षमता अपेक्षित थी। वित्तीय संस्थान ऋण खाते में ब्याज/ऋण किस्त के सफल भुगतान पर, राज्य संवितरण और देयता खाते स्वचालित रूप से अपडेट किए जाने थे।

वर्तमान प्रणाली में, पहले बिल बनाया[4] जाता है और वित्तीय संस्थान को भुगतान किया जाता है और उसके बाद संबंधित ऋण खाते में अद्यतन करने के लिए इसका विवरण ऋण प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में, ऋण खाता और उसके पुनर्भुगतान के लिए बिल तैयार करना आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित नहीं है क्योंकि ऋण प्रबंधन प्रणाली और ई-बिलिंग मॉड्यूल एकीकृत नहीं हैं। सिस्टम के माध्यम से केवल बिल तैयार करना और भुगतान करना होता है। इस प्रकार, ऋण/ब्याज के कई भुगतानों के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग. ऋण: वित्त विभाग ऋण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा लिए गए विभिन्न ऋणों का विवरण ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। अन्य हितधारकों के मध्य वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और महालेखाकार के साथ निर्बाध एकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई-बजट मॉड्यूल में कोई एकीकृत या कम्प्यूटरीकृत ऋण प्रबंधन प्रणाली विद्यमान नहीं है। परिचालन और निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए मैन्युअल परिस्थिति में ऋण, पुनर्भुगतान अनुसूची, भुगतान की देय तिथि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है।

---

[4] ऋण और किस्तों का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त विभाग को सूचित किया जाता है और इसे ऋण प्रबंधन प्रणाली में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय ऋण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में दिए गए किस्त विवरण स्वचालित रूप से ई-बिलिंग प्रणाली में नहीं आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई ई-बिलिंग प्रणाली के माध्यम से किस्त की राशि के लिए बिल स्वतंत्र रूप से तैयार किए जाते हैं।

2. आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मांग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नहीं होती है। निधियों को आकस्मिकता निधि से बजट शीर्ष में बैक एंड से अंतरित किया जाता है। इस कार्यक्षमता के अभाव में, आकस्मिकता निधि और बकाया आकस्मिकता राशि की वसूली के लिए डेबिट किए जाने वाले बजट शीर्षों का विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इससे आकस्मिकता निधि की वसूली में देरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके कार्यात्मक रूप से अभाव में, आकस्मिकता निधि से निधि के प्रवाह को सिस्टम द्वारा अकेले ट्रैक नहीं किया जा सकता है।

3. मानव संसाधन (एच.आर.) और गैर-मानव संसाधन गतिविधियों के लिए व्यय

किसी विशेष वर्ष के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से, मानव संसाधन से संबंधित व्यय (वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति से संबंधित लागत इत्यादि) को मानव संसाधन डेटाबेस से और गैर-मानव संसाधन गतिविधियों के लिए व्यय (वास्तविक व्यय, कटौती/प्राप्ति आदि) कार्यालय लेखांकन डेटाबेस से निकाला जाना था। ई-बजट मॉड्यूल में अन्य संबंधित डेटाबेस से स्वचालित रूप से जानकारी प्राप्त करने की कार्यक्षमता नहीं है।

4. प्राप्ति एवं व्यय का पूर्वानुमान

प्रणाली में मासिक प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाने और वास्तविक प्राप्ति के साथ उनकी तुलना करने की कार्यक्षमता होनी चाहिए। प्रणाली में अगले छः महीनों के लिए व्ययों का पूर्वानुमान लगाने और आबंटित बजट के साथ उसकी तुलना करने की कार्यक्षमता अपेक्षित थी। दोनों कार्यक्षमताएं समय पर, यदि अपेक्षित हो तो, संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद करती हैं। सिस्टम में पूर्वानुमान लक्षण की सुविधा मौजूद नहीं थी। इन सुविधाओं के अभाव में निधि के प्रबंधन की योजना प्रभावित हुई।

5. संभावित बचत/आधिक्य

बजट प्रबंधन के एक भाग के रूप में, प्रणाली को व्यय के परिणामस्वरूप संभावित बचत/आधिक्य वाली योजनाओं की पहचान करने में सक्षम होना अपेक्षित था। किसी विशेष शीर्ष के लिए किसी विभाग द्वारा कम या कोई व्यय न किए जाने की स्थिति में प्रशासनिक/वित्त विभाग को अलर्ट भेजने की सुविधा के लिए प्रणाली का मूल्यांकन किया गया था। यह कार्यक्षमता ई-बजट मॉड्यूल में अनुपस्थित थी जो संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को प्रभावित कर सकती थी।

5.7.2.2 ई-ग्रास

इस मॉड्यूल के अंतर्गत, राज्य खजाना द्वारा प्राप्त सभी राजस्व/ऋण/अनुदान/आदि को दर्ज करने के लिए खजाना प्राप्ति प्रणाली अर्थात ई-ग्रास का उपयोग किया गया था। ई-ग्रास के उपयोगकर्ता में व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.), बैंक, कंपनियां/संगठन और लाइन विभाग द्वारा नियुक्त एजेंट शामिल हैं, जो सरकारी खाते में पैसा जमा करते हैं। विभिन्न भुगतान विकल्पों जैसे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, आदाता के खाते द्वारा नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से यूनिक आई.डी. से चालान बनाकर धन जमा किया जा सकता

है। ई-ग्रास के अंतर्गत, प्रणाली प्रत्येक प्राप्ति ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक ट्रांजेक्शन आई.डी. उत्पन्न करती है।

ई-ग्रास में अंतर्निहित नहीं पाई गई कार्यक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अंतरण प्रविष्टियां कैप्चर करने का तंत्र

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय द्वारा पारित अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से राज्य खातों में किए गए समायोजन को कैप्चर करने की कार्यक्षमता प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी। इस कार्यक्षमता की अनुपस्थिति से प्रणाली प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय में अंतिम रूप दिए गए प्राप्ति आंकड़ों और ई-ग्रास मॉड्यूल के अंतर्गत दर्शाए आंकड़ों के मध्य मेल न होना दर्शाती है।

2. महालेखाकार कार्यालय के साथ एकीकरण

महालेखाकार के माध्यम से भेजे जाने वाले अलर्ट और समाधान प्रणाली की सहायता से संसाधन चार्ट तैयार करने की कार्यक्षमता ई-ग्रास में अंतर्निहित नहीं पाई गई थी। इस कार्यक्षमता से राज्य ऋण चुकौती देयताओं आदि जैसे डेटा को कैप्चर करने में मदद मिलेगी जो प्रणाली में स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो सकते हैं।

5.7.2.3 ई-बिलिंग

मॉड्यूल को सभी प्रकार के राज्य संवितरणों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मॉड्यूल के अंतर्गत, दावेदार, जो कर्मचारी, ठेकेदार, सरकारी एजेंसी या कोई अन्य हो सकते हैं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष (एच.ओ.ओ.) को दावे प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें लेखांकन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा और आगे कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मान्य किया जाएगा। इस चरण के बाद, खजाना संवितरण प्रणाली के माध्यम से बिल तैयार और समाशोधित किए जाते हैं। बदले में बैंक प्रणाली में दैनिक ई-स्क्रॉल अपलोड करते हैं जो संवितरण विवरण को खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अनुसार संकलित करता है और संवितरण विवरण/खाते का मिलान करने के लिए इसे खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रदान करता है।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रक्रियाएं/कार्यप्रणालियां ई-बिलिंग मॉड्यूल में अंतर्निहित नहीं हैं:

1. ई-संस्वीकृति (इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति) मॉड्यूल के साथ लिंकेज अनुपस्थित था। वर्तमान में, वित्तीय संस्वीकृतियां मैन्युअल रूप से प्राप्त/प्रदान की जाती हैं और फिर प्रणाली पर अपलोड की जाती हैं, जो बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। नई प्रणाली विभिन्न अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संस्वीकृति प्राप्त करने/जारी करने में सक्षम बनाएगी। प्रणाली वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करेगी और लेखापरीक्षा ट्रेल तथा विभिन्न जारी की गई/उपयोग की गई/व्यपगत संस्वीकृति का विवरण भी रखेगी।
2. दावा आई.डी. फंक्शन, जो दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होता, विद्यमान नहीं था। ई-बिलिंग के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रोसेसिंग दावे या बिल को मैन्युअल रूप से संसाधित/स्वीकार किए जाने के बाद ही शुरू होंगे।

3. बिल प्रोसेसिंग के संबंध में ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स की अनुमति देने की कोई कार्यक्षमता नहीं है।
4. मॉड्यूल में किसी भी पार्टी/आपूर्तिकर्ता/दावेदार को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यक्षमता नहीं थी।
5. मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक समाधान की कार्यक्षमता का भी अभाव था जो बैंकों से आने वाले ई-स्क्रॉल को कैप्चर करेगा और निपटान किए गए संवितरणों के साथ इसका मिलान करेगा।

5.7.2.4 ई-पेंशन

मॉड्यूल का उपयोग राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खजाना अधिकारियों (टी.ओ.) द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है।

ई-पेंशन मॉड्यूल में अंतर्निहित नहीं पाई गई कार्यात्मकताओं में पेंशनर की शिकायत निवारण विंडो शामिल है, जो पेंशनरों को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और समय पर उनका निवारण करने में सक्षम बनाती है।

5.7.2.5 ऑफ बजट मदें

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में, विभाग ने ऑफ-बजट मदों की योजना, बजट और लेखांकन को स्वचालित करने के लिए एक कार्यक्षमता लागू करने और राज्य के बजट से किए गए व्यय के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त निधियों दोनों के लिए, वास्तविक समय के आधार पर राज्य में संपूर्ण व्यय के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की संकल्पना की थी। यह भी संकल्पना की गई थी कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भारत सरकार से प्राप्त निधियों की प्राप्तियों और उपयोग का एकीकरण राज्य सरकार को व्यय पर बेहतर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 2022) यह देखा गया था कि वर्तमान प्रणाली में, बजट मॉड्यूल में ऑफ-बजट मद की प्रोसेसिंग के लिए ऐसी कोई कार्यक्षमता शामिल नहीं की गई थी।

5.7.2.6 इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में, जारी की गई संस्वीकृतियों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए सभी संस्वीकृतियों (वित्तीय, मैनपावर या पेंशन संबंधी) को प्राप्त करने और जारी करने की कार्यक्षमता को प्रणाली में सरकार के द्वारा प्रत्येक संस्वीकृति का ट्रेल रखने के लिए शामिल किया जाना था। प्रणाली किसी संस्वीकृति के उपयोग की सीमा का पता लगाएगी, व्यपगत संस्वीकृति आदि के उपयोग को प्रतिबंधित करेगी और अप्रयुक्त/प्रयुक्त/आंशिक रूप से प्रयुक्त/व्यपगत संस्वीकृति की संकलित रिपोर्ट देखकर अधिकारियों को निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता करेगी।

लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2022) यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संस्वीकृति जारी करने और बनाए रखने की कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी। वर्तमान परिदृश्य में, सभी स्वीकृतियां ऑफ़लाइन दी जाती हैं और स्कैन की गई प्रतियां बिल के साथ पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। यह डुप्लिकेट उपयोग के सत्यापन या राशि/बजट शीर्ष की संस्वीकृति के विरुद्ध सत्यापन की अनुमति नहीं देता है।

आगे, ई-बिलिंग मॉड्यूल में बिल तैयार करने के दौरान, यह देखा गया था कि बिल तैयार करते समय, प्रणाली को "दावेदार का नाम", "आदाता का यूनिककोड" (यू.सी.पी.), "निवल राशि", "संस्वीकृति संख्या", "संस्वीकृति तिथि" आदि की जानकारी अपेक्षित होती है। तथापि, संस्वीकृति की राशि से अधिक बिलों की तैयारी को रोकने और संस्वीकृति में शामिल लाभार्थियों के अलावा अन्य लाभार्थियों को भुगतान प्रतिबंधित करने के लिए कोई सत्यापन जांच नहीं है।

कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन न होने का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि "टू-बी डॉक्यूमेंट" में संकल्पित कार्यप्रणाली पर दोबारा विचार किया जाएगा और चार माह की समय-सीमा के भीतर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार, राष्ट्रीय सूचना केंद्र से संबंधित मॉड्यूल में कार्यक्षमताओं को शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा। तथापि, इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति के मामले में उपयोगिता का कार्यान्वयन चल रहा था और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा की टिप्पणियां मांगी गई थी और इसे छः माह की समयावधि के भीतर लागू किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने (जनवरी 2024) के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी गई।

5.7.2.7 नई पेंशन योजना अंशदान का समाधान

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी हरियाणा नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। योजना के संदर्भ में, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, और मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत[5] राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है; और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित की जानी होती है।

समान अंशदान के साथ वेतन बिल से वसूल की गई राशि को विस्तृत शीर्ष अर्थात 99-सरकारी कर्मचारी अंशदान और 98-सरकारी अंशदान में जमा किया जाना है। खजाना अधिकारी जिले में हरियाणा नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कर्मचारियों के संबंध में मुख्य शीर्ष 8342- अन्य जमाओं से धन के अंतरण के लिए समेकित बिल तैयार करना होगा और खजाना बैंक से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से नई पेंशन योजना के लिए बैंक को भुगतान करने का अनुरोध करना होगा। इसके बाद खजाना अधिकारी को प्रत्येक माह का अभिदाता-वार विवरण देते हुए जमाराशियों का समेकित विवरण तैयार करना होगा और निदेशक, खजाना एवं लेखा और

[5] पहले यह दिसंबर 2021 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत था।

वित्त विभाग को एक प्रति के साथ अगले माह की तीन तारीख तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को रिपोर्ट भेजनी होगी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के वित्त लेखों के अध्ययन के दौरान निम्नलिखित पाया गया है जैसा कि **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित कम अंशदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष (1)	कर्मचारी द्वारा अंशदान (2)	राज्य सरकार द्वारा अंशदान (3)	कुल (2+3) (4)	कम अंशदान (2-3) (5)	एन.एस.डी.एल. को कुल अंतरण (6)	एन.एस.डी.एल. को कम अंतरण (4-6) (7)
31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के पास पेंशन निधि का शेष						14.54
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
2020-21	778.53	766.83	1,545.36	11.70	1,535.18	10.18
कुल	**2,062.32**	**1,995.33**	**4,057.65**	**66.99**	**4,029.12**	**43.07**

विभागीय अधिकारियों और राष्ट्रीय सूचना केंद्र की टीम द्वारा प्रणाली में उपलब्ध कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान और नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान तथा इस राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अंतरित करने और अंतरण के लिए लंबित राशि के समाधान की उपयोगिता प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। संकल्पित कार्यात्मकताओं के अभाव में, संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने उत्तर दिया कि नई पेंशन योजना के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई उपयोगिता, यदि संभव हो तो, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विकसित की जाएगी।

5.7.3 तार्किक पहुंच (लॉजिकल एक्सेस) नियंत्रण

5.7.3.1 पासवर्ड नीति

जहां एक संगठन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) और इंटरनेट जैसी वैश्विक सुविधाओं का उपयोग करता है वहां पर्याप्त तार्किक पहुंच सुरक्षा का अस्तित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पासवर्ड की प्रभावशीलता के लिए उचित पासवर्ड नीति और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित पासवर्ड नीति में प्रावधान है कि उपयोगकर्ता आई.डी. और पासवर्ड को गोपनीय जानकारी माना जाएगा और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। पासवर्ड नीति में यह भी प्रावधान है कि तार्किक पहुंच नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सिस्टम को उपयोगकर्ता को एक निश्चित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देना चाहिए। प्रणाली को उपयोगकर्ता को एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए जैसे कि कम से कम आठ अक्षरों में, जिसमें संख्याएं, विशेष अक्षर, बड़े और छोटे अक्षर आदि शामिल हों। पासवर्ड नीति और प्रक्रिया सभी कर्मचारियों को मालूम होनी चाहिए और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

हेल्प डेस्क[6] पर प्रस्तुत शिकायतों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई 1,57,244 शिकायतों में से 45,829 शिकायतकर्ताओं ने अपने उपयोगकर्ता-आई.डी. और पासवर्ड को प्रकट किया था, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) और खजाना एवं लेखा निदेशालय (डी.टी.ए.) के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता-आई.डी. और पासवर्ड साझा करने से सिस्टम में अनधिकृत एक्सेस का जोखिम रहता है। आगे, उपयोगकर्ताओं के मास्टर तालिका से पता चला कि प्रणाली में उचित सत्यापन जांच विद्यमान नहीं थी जो उपयोगकर्ताओं को एक मजबूत पासवर्ड सेट करने के लिए मजबूर करती और उपयोगकर्ता को समय-समय पर पासवर्ड बदलने के लिए प्रेरित करती।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करते समय अपने पासवर्ड साझा न करने की सलाह दी गई थी। इसमें आगे बताया गया है कि उपयोगकर्ताओं को 90 दिनों के बाद अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जांच की व्यवस्था की गई है।

5.7.3.2 जानने की आवश्यकता (नीड-टू-नो) आधार से परे सूचना तक पहुंच-हेल्प डेस्क समस्याएं

उपयोगकर्ताओं के लिए कवर की गई प्रणाली और डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की निर्णय प्रक्रिया जानने की आवश्यकता (नीड-टू-नो) के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, जो उपयोगकर्ताओं के जॉब कार्यात्मकताओं के संचालन के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2022) यह देखा गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोगकर्ता विभागों के सामने आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए खजाना एवं लेखा निदेशालय द्वारा एक हेल्प डेस्क सुविधा लागू की गई थी। यह देखा गया था कि कोई भी "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में लॉग-इन कर सकता है और इस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय, वेबपेज उपयोगकर्ताओं को शिकायत के संदर्भ में दस्तावेज संलग्न करने या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्रकट करने की भी अनुमति देता है। सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाना अपेक्षित है कि शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास किसी अन्य शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत तक पहुंच न हो।

तथापि, जब लेखापरीक्षा ने "व्यू कम्प्लेंट्स" पेज की जांच की, तो यह देखा गया था कि "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में लॉग-इन किया गया कोई भी व्यक्ति "गेस्ट उपयोगकर्ता" के रूप में प्रस्तुत सभी शिकायतों की सामग्री देख सकता है। यह देखा गया था कि प्रणाली न तो शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार करने से पहले वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) के माध्यम से उसका सत्यापन करती है और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत शिकायत की विषय-वस्तु तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है।

---

[6] एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में उपयोगकर्ता विभागों के सामने आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए खजाना एवं लेखा निदेशालय (डी.टी.ए.) द्वारा एक हेल्प डेस्क सुविधा लागू की गई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि शिकायतकर्ता को केवल शिकायतकर्ता के अलावा अन्य द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विषय-वस्तु देखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

5.7.3.3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों (डी.एस.सी.) का उपयोग

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, तार्किक पहुंच नियंत्रण को मजबूत करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा को लागू किया गया था (अगस्त 2017)। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग प्रेषित डेटा/सूचना की प्रामाणिकता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि विभाग और विकास टीम के साथ चर्चा की गई है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) का उपयोग बिलों को पारित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (ई.पी.एस.)[7] के सत्यापन के समय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी खजाना में बिल जमा करते समय सब-वाउचर की प्रतियां भी अपलोड करते हैं। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के जनरेशन और भुगतान के लिए बिल पास करते समय खजाना अधिकारी (टी.ओ.) द्वारा भी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग किया जाता है।

अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के दौरान ई-बिलिंग मॉड्यूल में तैयार किए गए बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 31,52,789 बिल मासिक खातों का हिस्सा बने। इन बिलों के विश्लेषण से पता चला कि ***तालिका 5.3*** में दिए गए विवरण के अनुसार 10 श्रेणियों से संबंधित 1,43,096 बिलों पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

तालिका 5.3: बिल और डिजिटल हस्ताक्षर

क्र. सं.	बिल की श्रेणी	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों की संख्या	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किए गए बिलों की संख्या
1.	यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल	38,144	15
2.	मेडिकल बिल	90,790	31
3.	सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)	68,297	23
4.	नियमित पेंशन	1,239	46,391
5.	आकस्मिकता बिल	6,25,115	71,141
6.	वर्क्स/चेक	1,83,949	83
7.	सिविल कोर्ट डिपॉजिट (सी.सी.डी.)	11,721	6
8.	पेंशन उपदान	0	15,824
9.	पेंशन संराशीकरण	0	9,578
10.	सामान्य रिफंड	17,802	4
कुल		**10,37,057**	**1,43,096**

बिल तैयार करने से लेकर उसके भुगतान तक की प्रक्रिया की जांच के दौरान यह देखा गया था कि खजाना बिल के कवर पेज पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी और खजाना अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। तथापि, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल के साथ अपलोड किए गए सब-वाउचर/संस्वीकृतियां अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता के समर्थन में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं थी।

[7] इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (ई.पी.एस.) - ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं की एक सूची तैयार की जाती है और बैंक को भुगतान करने के लिए भेजी जाती है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के उपयोग के लिए लॉग को स्टोर करने के लिए लॉग टेबल वर्तमान में डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे और भविष्य में इसे जोड़ा जाएगा।

5.7.4 ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) मॉड्यूलस

निदेशालय, खजाना एवं लेखा, हरियाणा द्वारा वर्ष 2013 में ई-बिलिंग एवं ऑन-लाइन खजाना सूचना प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली की संकल्पना बिलों को तैयार करने, संस्वीकृति/ सब-वाउचर अपलोड करने और खजाना अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर बिलों के अनुमोदन की सुविधा के लिए की गई थी। प्रणाली में बिलों के अनुमोदन से पहले बजट की उपलब्धता के लिए सत्यापन जांच के रूप में बजट मॉड्यूल से भी लिंकेज है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली बिलों को पारित करने, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी.) का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की सूची तैयार करने और बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदाताओं के खातों में भुगतान अंतरण करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक किए गए भुगतानों का मिलान करने और विस्तृत खाते तथा अन्य विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए खजानों को दैनिक ई-स्क्रॉल प्रदान करता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली और ई-बिलिंग का वर्कफ़्लो **चार्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.2: खजाना संवितरण प्रणाली

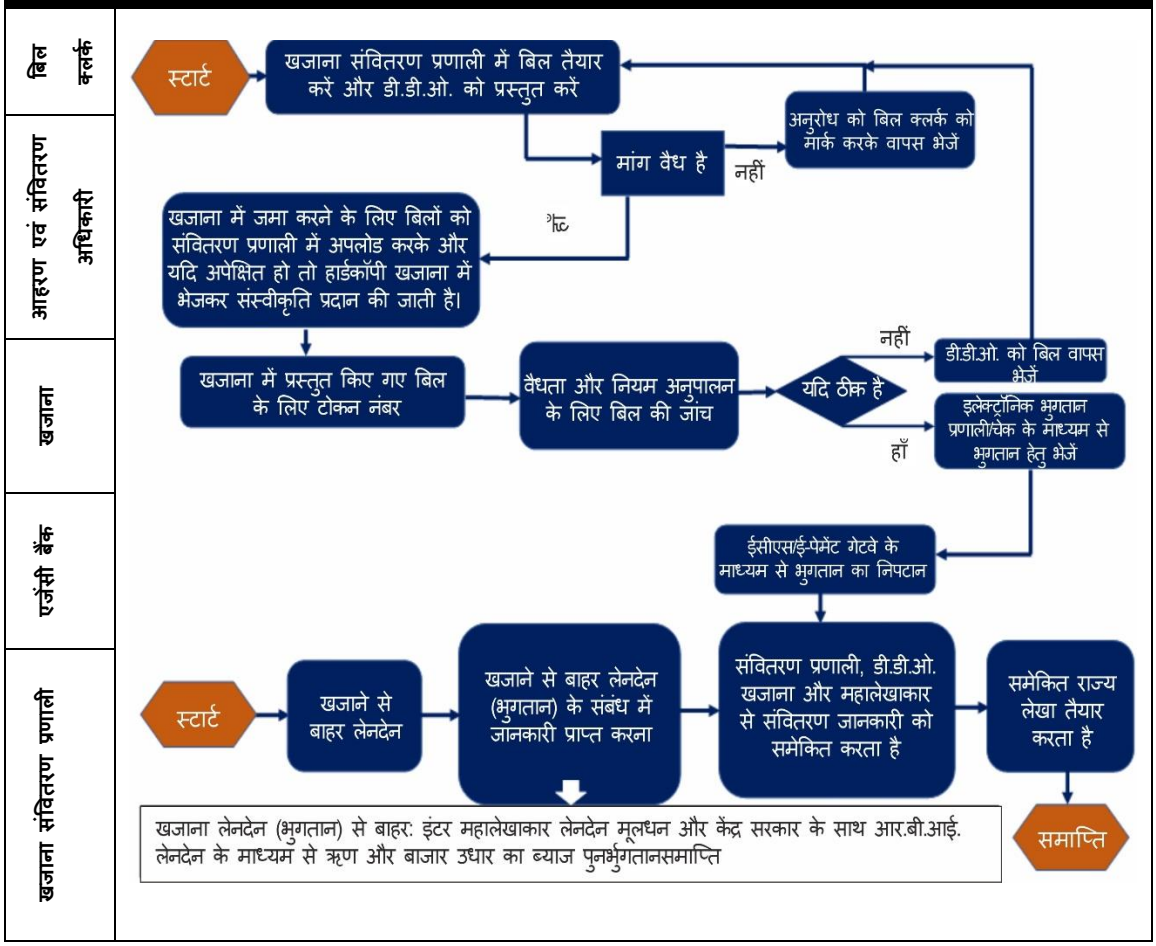

5.7.4.1 सत्यापन नियंत्रण

ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में शामिल चरणों के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि एक बिल मासिक खाते का हिस्सा बनने से पहले निम्नलिखित चरणों से गुजरता है जैसा कि नीचे **चार्ट 5.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.3: ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में शामिल चरण

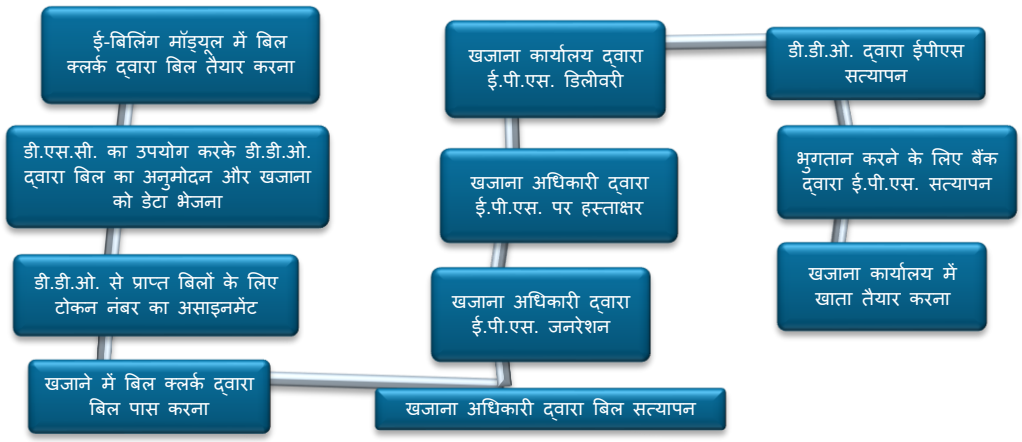

(i) ***आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा बिल के अनुमोदन से पहले बिल को टोकन नंबर सौंपा गया***

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना में बिल भेजे जाने के बाद उसे टोकन नंबर दिया जाता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदन की तिथि और खजानों में टोकन नंबर के सौंपने की तिथि के संबंध में बिलों के चरणों के मध्य ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चला कि बिलों के प्रवाह के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन बिलों के अनुमोदन की तिथि से पहले खजानों में 935 बिलों को टोकन नंबर आबंटित किए गए थे। इन बिलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बिलों के अनुमोदन से एक से 288 दिन पहले टोकन नंबर दिए गए थे।

सरकार को यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2022), विभाग ने एग्जिट मीटिंग में बताया कि वर्कफ्लो की जांच के लिए के लिए समय की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय सूचना केंद्र इस पर कार्रवाई करेगा।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी तिथि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की हस्ताक्षर की तिथि से पहले की है

खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंप दी जाती है। वितरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 24,75,268 मामलों में से एक मामले में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी की तिथि खजाना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से पहले की है।

पंचकुला में खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में फील्ड विजिट के दौरान, यह देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी और हस्ताक्षर की तिथि दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुपालन में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जांच बिंदु लागू किए गए थे।

(iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन से पहले भुगतान किए गए

विकास टीम द्वारा वर्णित ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली के वर्कफ्लो के अनुसार, बैंक द्वारा भुगतान के वितरण से पहले इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 188 मामलों में, भुगतान की तिथि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन की तिथि से पहले की थी।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय में फील्ड विजिट के दौरान, यह देखा गया था कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन को दर्शाने के लिए सिस्टम में कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र और बैंकों के साथ विचार-विमर्श के बाद जांच बिंदु लागू किया जाएगा।

(iv) बैंक द्वारा सत्यापन से पहले भुगतान प्राप्तकर्ताओं को क्रेडिट कर दिया गया

विकास टीम द्वारा वर्णित वर्कफ्लो के अनुसार, बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली सत्यापित होने के बाद आदाताओं को भुगतान किया जाता है। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 958 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए भुगतान बैंक द्वारा सत्यापन से पहले किया गया था।

एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने के लिए कहा है।

(v) बिलों को तैयार करने से पहले इनका भुगतान किया गया

विकास टीम द्वारा वर्णित वर्कफ्लो के अनुसार, बिल तैयार होने के बाद ही उसका भुगतान किया जा सकता है। डेटा के विश्लेषण के दौरान, चार बिलों में, भुगतान की तिथि खजाना अधिकारी द्वारा बिलों को तैयार करने और उनके सत्यापन से पहले की थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने का निर्देश दिया है।

(vi) खजाना अधिकारी के सत्यापन के बिना बिलों का भुगतान

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, बिल संस्वीकृत होने के बाद, बिल के भुगतान की प्रक्रिया के लिए खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट की जाती है। प्रणाली, खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए बिल के सत्यापन की तिथि को कैप्चर करती है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि दो बिलों में, खजाना अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बिना भुगतान किया गया था। प्रणाली ने इन बिलों के भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पर्याप्त जांच लागू करने के लिए कहा है।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट किए बिना बिलों को अंतिम रूप दिया गया

प्रणाली में लेनदेन के प्रवाह के अनुसार, खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट होने और आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद बैंक द्वारा भुगतान के लिए बिल संसाधित किया जाता है। बिलों के भुगतान के बाद, बिल की स्थिति "लेखे तैयार किए गए" के रूप में अद्यतन की जाती है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि ₹ 12,174.71 करोड़ के 24,453 आकस्मिक बिलों सहित 26,991 बिलों में खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की गई थी। तथापि, इन बिलों की स्थिति "लेखे तैयार किए गए" के रूप में दर्शाई गई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि शून्य राशि वाले बिलों के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की जाती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ₹ 28.47 लाख के भुगतान से संबंधित सात मामले ऐसे थे जो गैर-शून्य बिल थे और जहां खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट नहीं की गई थी, किंतु इन बिलों को अंतिम रूप दिया गया के रूप में दर्शाया गया था।

(viii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना ही बिलों को अंतिम रूप दे दिया गया

प्रणाली में बिल प्रक्रिया के प्रवाह के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिलों का भुगतान करने के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए खजाना अधिकारी से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की प्राप्ति के बाद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन करता है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि 10 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तथापि, इन बिलों को "लेखे तैयार किए गए" के रूप में दर्शाया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि चार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था, यद्यपि इन पर खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(ix) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना बिलों को अंतिम रूप दिया गया

आदाताओं को भुगतान करने से पहले, बैंक स्वयं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद सत्यापित करता है।

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 11 मामलों में, बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बिना आदाताओं को भुगतान किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(x) असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं (यू.सी.पी.) को भुगतान

ई-बिलिंग उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने के लिए बिल तैयार करते समय केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित आदाताओं का यूनिक कोड ही आदाताओं के रूप में दिखाई देना चाहिए। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत 9,19,408 यूनिक कोड आदाताओं में से 14,120 यूनिक कोड आदाताओं को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तथापि, 11,417 असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं के पक्ष में भी भुगतान किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यूनिक कोड आदाताओं की क्रेडेंशियल में किसी भी बदलाव के समय, चेकर को इन परिवर्तनों को फिर से सत्यापित करना था। ये मामले उस श्रेणी में आ सकते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डेटाबेस में इन असत्यापित यूनिक कोड आदाताओं के लंबित रहने की अवधि का पता लगाने के लिए कोई लॉग नहीं था। विभाग ने आगे बताया कि इन लॉग्स को स्टोर करने के लिए प्रणाली को संशोधित किया जाएगा।

(xi) मास्टर तालिका में आदाताओं का विवरण विद्यमान नहीं

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के लिए प्रत्येक आदाता को यूनिक आदाता कोड अनिवार्य रूप से सौंपा जाता है। सभी यूनिक आदाता कोड "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली" तालिका में संग्रहीत हैं।

ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली में उपलब्ध आदाता मास्टर डेटा और भुगतान विवरण डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 22,22,565 आदाताओं को भुगतान किया गया था। इन आदाताओं की जानकारी का मास्टर डेटा अर्थात आदाताओं की तालिका के साथ आगे विश्लेषण किया गया था और लेखापरीक्षा में देखा गया था कि जिन 11 आदाताओं को भुगतान किया गया था उनका विवरण मास्टर तालिका में विद्यमान नहीं था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यूनिक आदाता कोड की डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान, इन यूनिक आदाता कोड को हटा दिया गया होगा। आगे, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को मास्टर तालिका में प्रविष्टियों को स्थायी रूप से हटाने से बचने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश दिए।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के लिए लॉग डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थे, जिसके अभाव में डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की सुदृढ़ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(xii) नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पहले अंशदान पर प्रतिबंध

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नई पेंशन योजना के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियमन, 2015 के विनियमन संख्या 37 के अनुसार, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत ऐसे अभिदाता के वेतन से नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान/कटौती को सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम तीन माह पहले रोक दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिदाता का निकास और प्रत्याहरण सुचारू एवं प्रभावी है। नियोक्ता मासिक वेतन के साथ सीधे कर्मचारी ग्राहक को ऐसे उक्त अंशदान का भुगतान करेगा।

एम्पमास्ट तालिका (एम्पमास्ट तालिका कर्मचारियों के लिए मास्टर तालिका है) में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की तिथि के संदर्भ में **वेतन बिल तालिका** (वेतन बिल तालिका कर्मचारियों के लिए लेनदेन तालिका है) से कर्मचारी के नई पेंशन योजना अंशदान से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान/कटौती निम्नलिखित कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले तीन माह के लिए **तालिका 5.4** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी।

तालिका 5.4: नई पेंशन योजना अंशदान प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित नहीं है

मामला संख्या	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतन वर्ष	भुगतान माह	नई पेंशन योजना की अंशदान राशि
		(एम्पमास्ट तालिका)		(भुगतान बिल तालिका)		
1	राजेन्द्र	12-01-1962	31-01-2020	2019-20	11	3,779
				2019-20	12	3,779
				2019-20	01	4,107
2	विद्या	28-08-1959	31-08-2019	2019-20	06	2,061
3	देव	12-01-1960	31-01-2020	2019-20	11	2,223
				2019-20	12	2,223
				2019-20	01	2,223
4	कौशल	1-08-1960	31-07-2020	2020-21	05	2,223
				2020-21	06	2,223

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पिछले तीन महीनों के लिए नई पेंशन योजना के अंशदान को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए।

(xiii) उसी ब्लॉक वर्ष के लिए अनुवर्ती छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) दावे पर प्रतिबंध

हरियाणा सरकार के मई 2009 और अक्तूबर 2009 में जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी/पेंशनर छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से चार वर्ष के ब्लॉक में एक बार एकमुश्त सहायता के रूप में एक महीने का वेतन/पेंशन निकालने के हकदार होंगे।

लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के उद्देश्य से, उसी ब्लॉक वर्ष के लिए पहला और बाद का छुट्टी यात्रा रियायत बिल तैयार करने की प्रक्रिया स्टेजिंग सर्वर पर की गई थी। प्रणाली ने एक ही आदाता के उसी ब्लॉक वर्ष के लिए अगले बिल की तैयारी को प्रतिबंधित कर दिया था।

ई-बिलिंग और ई-पेंशन डेटा के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए 105 कर्मचारियों और 180 पेंशनभोगियों को एक ही ब्लॉक वर्ष के लिए एकमुश्त एक माह का वेतन/पेंशन एक से अधिक बार भुगतान किया गया।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि संबंधित विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के परामर्श से वसूली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छुट्टी यात्रा रियायत के दोहरे भुगतान से संबंधित मामला गंभीर प्रकृति का है और विभाग/राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा जांच अपेक्षित है कि वर्तमान सत्यापन जांच के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो सकती है।

अनुच्छेद (i) से (xiii) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ई-बिलिंग, ई-पेंशन और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण की अनुपस्थिति/कमी पर प्रकाश डालते हैं।

5.7.4.2 आदाता का यूनिक कोड (यू.सी.पी.) तैयार करना

(i) अवैध पैन कैप्चर किए गए

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, आदाता के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के अंतरण को सक्षम करने के लिए प्रत्येक आदाता को भुगतान आदाता यूनिक कोड दिया जाता है। आदाता यूनिक कोड बनाते समय, जो आदाता के लिए एक बार की प्रक्रिया है, आदाता का विवरण "मेकर" (बिल क्लर्क) द्वारा ईएस-2 फॉर्म में कैप्चर किया जाता है और जानकारी एक मास्टर टेबल में संग्रहीत की जाती है। विभाग के निर्देशों के अनुसार रद्द किए गए चेक, पैन कार्ड की प्रतिलिपि आदि सहित सहायक दस्तावेज प्राप्त करने अपेक्षित हैं। "चेकर" (आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.)) वास्तविक आदाता के परिचय-पत्र (क्रेडेंशियलस) को सत्यापित और अनुमोदित करता है।

यूनिक आदाता कोड से संबंधित मास्टर डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 88,07,711 अभिलेखों में से 64,65,485 अभिलेखों में अमान्य पैन नंबर कैप्चर किए गए थे, जो दर्शाता है कि 30,534 पैन अभिलेख कर्मचारी श्रेणी से संबंधित थे और 2,069 मामलों में पैन को "XXXXXXXXXX" के रूप में दर्ज किया गया था। किसी भी सत्यापन जांच के अभाव में, प्रणाली ने या तो पैन कॉलम को खाली छोड़ने या अमान्य पैन को कैप्चर करने की अनुमति दी थी। कर्मचारी श्रेणी से संबंधित पैन नंबर के वैध प्रारूप के साथ अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि 38 मामलों में कैप्चर किए गए पैन नंबर "व्यक्तिगत" के अलावा अन्य श्रेणी के हैं, क्योंकि पैन में चौथा अक्षर करदाता की श्रेणी को दर्शाता है। विवरण निम्नलिखित **चार्ट 5.4** में दिया गया है।

चार्ट 5.4: ऐसे मामले जिनमें अवैध पैन कैप्चर गया था

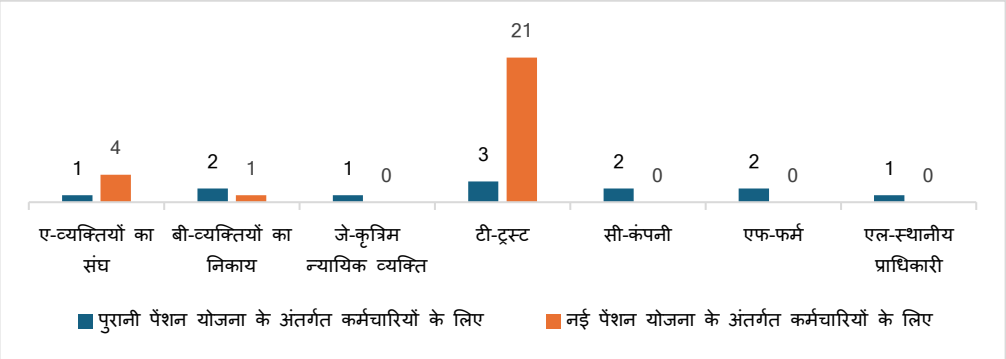

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मामला सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग के पास प्रक्रियाधीन है।

(ii) एक ही पैन के लिए कई समान यूनिक आदाता कोड/एक ही पैन के लिए कई अलग-अलग यूनिक आदाता कोड

ई-बिलिंग उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता, यूनिक आदाता कोड के सृजन के समय सूचना अर्थात पैन, सामान्य भविष्य निधि नंबर, पी.आर.ए.एन. (प्रान) या बैंक खाता विवरण दर्ज करता है जो किसी अन्य कर्मचारी से संबंधित है जिसे यूनिक आदाता कोड पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने पर, "समान विवरण वाला आदाता विद्यमान है" संदेश के साथ एक विंडो दिखाई देगी। तथापि, "थर्ड पार्टी" श्रेणी के आदाताओं (आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार आदि) के मामले में, विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए समान विवरण के साथ यूनिक आदाता कोड सृजन की अनुमति दी जा सकती है।

वैध पैन के साथ बनाए गए आदाता यूनिक कोड के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि "थर्ड पार्टी" श्रेणी के अलावा अन्य 3,76,132 आदाताओं में, एक ही पैन के विरुद्ध दो से 58 बार तक कई समान यूनिक आदाता कोड (12,14,006 यूनिक आदाता कोड) बनाए गए थे और इसमें यह भी पता चला कि थर्ड पार्टी की श्रेणी के अलावा 1,844 पैन के लिए 3,760 अलग-अलग यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे।

(iii) एक ही पैन के विरुद्ध विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग यूनिक आदाता कोड

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1,940 मामलों में, प्रत्येक पैन के लिए दो अलग-अलग यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे और इनमें से एक यूनिक आदाता कोड "कर्मचारी" श्रेणी का था और दूसरा "थर्ड पार्टी" या "अन्य श्रेणी" का था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया था कि 81 मामलों में, "थर्ड पार्टी" श्रेणी के आतादाओं के संबंध में एक ही पैन, एक ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आधार पर एक से अधिक यूनिक आदाता कोड बनाए गए थे।

एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अनुच्छेद (i) से (iii) एप्लीकेशन में आदाता कोड की विशिष्टता पर सत्यापन नियंत्रण/अलर्ट की कमी को दर्शाते हैं।

5.7.4.3 लेखापरीक्षा ट्रेल

लेखापरीक्षा ट्रेल इस बात का साक्ष्य प्रदान करता है कि एक विशिष्ट ट्रांजेक्शन कैसे, कब और किसके द्वारा शुरू और संसाधित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, डेटा में किए गए परिवर्तन/संशोधन, क्या और किसके द्वारा संपादित किया गया आदि को ट्रैक करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ट्रेल में, किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कार्यों की पहचान प्रत्येक उपयोगकर्ता को सौंपी गई उसकी उपयोगकर्ता आई.डी. से की जाती है।

(i) दो अलग-अलग कार्यों के लिए एक ही उपयोगकर्ता_आई.डी. का असाइनमेंट

सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, कर्तव्यों का पृथक्करण यह सुनिश्चित करने का एक सिद्ध तरीका है कि लेन-देन उचित रूप से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए हैं और संपत्ति सुरक्षित है। कर्तव्यों का पृथक्करण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में एक मौलिक नियंत्रण आवश्यकता है क्योंकि यह त्रुटि और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है। कंप्यूटर सिस्टम पूर्व-प्रोग्राम किए गए उपयोगकर्ताओं के उपयोग और उनके अधिकारों की परिभाषा के माध्यम से कर्तव्यों के पृथक्करण को लागू करने में सक्षम हो सकता है।

विभागीय स्तर पर बिलों की तैयारी एवं अनुमोदन से संबंधित कार्य दो अलग-अलग कार्मिकों द्वारा किए जाते हैं। प्रणाली में, बिल तैयार करने वाले उपयोगकर्ता को "मेकर" के रूप में पहचाना जाता है और बिलों को संस्वीकृति देने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी को "चेकर" के रूप में पहचाना जाता है।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि बिलों की तैयारी और अनुमोदन के लिए ट्रांजेक्शन तालिका में समान उपयोगकर्ता_आई.डी. के लॉग संग्रहीत किए जा रहे थे। "मेकर" और "चेकर" के लिए एक ही उपयोगकर्ता आई.डी. के असाइनमेंट के मामले में, लेखापरीक्षा ट्रेल से यह पता लगाना संभव नहीं है कि बिल की तैयारी, निरस्तिकरण या अनुमोदन के लिए कार्य किसने किया है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मेकर/चेकर को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए लॉग तालिका में एक और फील्ड जोड़ा जाएगा।

यह सिफारिश की जाती है कि केवल एक अलग फील्ड बनाने से लेखापरीक्षा मुद्दे का समाधान नहीं होता है और इसके बजाय विभाग को मेकर और चेकर के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता आई.डी. रखनी चाहिए।

(ii) लॉगिन सत्र के लिए मिसिंग लॉग

ई-बिलिंग डेटा के विश्लेषण से पता चला कि "ऑडिटलॉग" तालिका में उन सत्रों के लॉग शामिल

हैं जिनके दौरान एक विशेष उपयोगकर्ता सिस्टम पर "लॉग-इन" रहा और प्रत्येक लॉग-इन के दौरान एक लॉग उत्पन्न होना चाहिए।

2018-19 और 2020-21 के मध्य कैप्चर किए गए लॉगिन सत्रों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि उस समय अवधि को कैप्चर करने के लिए 29,04,775 लॉग आई.डी. उत्पन्न की गई, जिसके दौरान एक उपयोगकर्ता ने सिस्टम तक पहुंच बनाई और यह पाया गया कि तालिका में 7,10,070 लॉग आई.डी. मिसिंग थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

(iii) बिल तैयार करने, अनुमोदन करने और खजाना को बिल भेजने के लिए लॉग

ई-बिलिंग मॉड्यूल डेटाबेस में **टी_पी_ट्रैक** तालिका को तैयारी, अनुमोदन और खजाना में भेजने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में "मेकर" और "चेकर" द्वारा किए गए इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण से पता चला कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 68,52,216 इवेंट्स को कैप्चर किया गया। लॉग तालिका में, सिस्टम जनरेटड रॉ-आइडेंटिफायर (पंक्ति पहचानकर्ता) को यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है कि सभी इवेंट्स को बिना किसी मिसिंग के कैप्चर किया गया था।

इस तालिका में विद्यमान जानकारी के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि तालिका को रॉ-आइडेंटिफायर को कैप्चर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। तदनुसार, डेटाबेस में दर्ज प्रत्येक इवेंट के विरुद्ध कोई रॉ-आइडेंटिफायर नहीं था। किसी भी रॉ-आइडेंटिफायर की अनुपस्थिति में, ई-बिलिंग मॉड्यूल की टी_पी_टोकन[8] तालिका में संग्रहीत ट्रांजेक्शन को संदर्भित करने के लिए "बिल_नंबर" को एक यूनिक पहचानकर्ता माना जाता था। दोनों तालिकाओं (टी_पी_ट्रैक तालिका और टी_पी_टोकन तालिका) के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि:

क) 34,14,330 बिलों में से 21,27,771 बिलों के लॉग टी_पी_ट्रैक तालिका में उपलब्ध नहीं थे।

ख) टी_पी_ट्रैक तालिका में 7,10,843 बिलों के लॉग के सामने उल्लिखित बिल नंबर, टी_पी_टोकन तालिका में बिलों से जनरेट होने वाली जानकारी के प्रवाह के बावजूद, ई-बिलिंग मॉड्यूल की टी_पी_टोकन तालिका में नहीं पाए गए थे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संसाधित सभी बिलों के लॉग को कैप्चर करने के लिए प्रणाली को संशोधित किया जाएगा।

(iv) रद्द किए गए बिलों के लिए लॉग

आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर तैयार किए गए बिलों के डेटा के विश्लेषण के दौरान

[8] यह तालिका आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल बनाने संबंधी सूचना समाविष्ट करती है।

यह देखा गया था कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा 95,078 बिल रद्द कर दिए गए थे। टी_पी_ट्रैक तालिका में कैप्चर किए गए लेखापरीक्षा लॉग के साथ इन रद्द किए गए बिलों की तुलना से पता चला कि 87,281 रद्द किए गए बिलों के लॉग डेटाबेस में नहीं पाए गए थे।

पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में, विभाग के लिए यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि लेनदेन को किसने निरस्त किया था और यह निरस्तीकरण कब हुआ था।

(v) वित्त विभाग के पास भेजे गए बिलों के मिसिंग लॉग/ ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) में मिसिंग ट्रांसेक्शन

वित्त विभाग (एफ.डी.) ने समय-समय पर विभागों को इन बिलों को खजाने में भेजने से पहले विभिन्न[9] श्रेणियों के बिलों में वित्त विभाग की संस्वीकृति लेने के निर्देश जारी किए। विभागीय उपयोगकर्ताओं और विकास टीम द्वारा वर्णित ई-बिलिंग डेटा और ट्रांजेक्शन के प्रवाह के विश्लेषण के दौरान, इन बिलों को भुगतान के लिए खजाने में भेजने से पहले उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बिलों को ई-बिलिंग मॉड्यूल में वित्त विभाग के पास भेजा जाता है।

ई-बिलिंग डेटा में कैप्चर किए गए लेखापरीक्षा लॉग के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, 4,05,094 बिल अनुमोदन के लिए वित्त विभाग के पास भेजे गए थे। ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) मॉड्यूल में दर्ज किए गए बिलों की स्थिति के अनुसार, यह देखा गया था कि 22,698 बिल या तो वित्त विभाग के पास लंबित थे (स्थिति: वित्त विभाग को भेजे गए) या वित्त विभाग द्वारा रद्द किए गए थे (स्थिति: वित्त विभाग से लौटाए गए)। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि शेष 3,82,396 बिलों में से 39,436 बिल डेटाबेस में ट्रेस नहीं हो सके। सिस्टम में मिसिंग लॉग के अभाव में बिल/ट्रांजेक्शन का पूरा चक्र सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से संसाधित सभी बिलों के लिए लॉग को कैप्चर करने के लिए सिस्टम को संशोधित किया जाएगा।

इसी प्रकार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना को भेजा गया प्रत्येक बिल टोकन नंबर आबंटित करने के बाद ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में, प्रत्येक बिल ट्रांजेक्शन को सिस्टम द्वारा जनरेट अनुक्रमिक संख्या अर्थात "आई.डी._संख्या" द्वारा दर्शाया जाता है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान खजाना में टोकन नंबर दिए गए बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 58,83,112 (आई.डी. संख्या 90,83,975 से 1,49,67,086) ट्रांजेक्शन में से 3,62,513 ट्रांजेक्शन ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में मिसिंग थे।

---

[9] यात्रा भत्ता (टी.ए.) बिल, मेडिकल बिल, सामान्य भविष्य निधि बिल, वर्क्स बिल, सामान्य रिफंड आदि।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने आश्वासन दिया कि डेटाबेस में कोई भी बिल मिसिंग नहीं था। तथापि, आई.डी. संख्या मिसिंग होने का कोई कारण नहीं बताया जा सका।

अनुच्छेद (i) से (v) लेखापरीक्षा लॉग के पर्याप्त रखरखाव की कमी को दर्शाते हैं।

5.7.4.4 सार आकस्मिक और विस्तृत आकस्मिक बिल

सहायक खजाना नियम (एस.टी.आर.) के नियम 4.49 के अंतर्गत नोट 4 के अनुसार, प्रत्येक सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल के साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित है कि उस तिथि से एक माह से अधिक समय पहले आहरित किए गए सार आकस्मिक बिलों के संबंध में विस्तृत आकस्मिक बिल नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में सार आकस्मिक बिल को भुनाया नहीं जा सकता। आगे, सहायक खजाना नियम के नियम 4.49 के अंतर्गत नोट 5 के अनुसार, सार आकस्मिक बिल को उस माह के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जिस माह में सार आकस्मिक बिल आहरित किया गया था। जून 2016 में जारी हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार, विस्तृत आकस्मिक बिलों को सार आकस्मिक बिलों के आहरण से एक महीने के भीतर जमा करना अपेक्षित था। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि किसी भी सार आकस्मिक बिल के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल के अनुमोदन/समायोजन के बाद, "समायोजित" कॉलम में एक फ्लैग "वाई" पॉप्युलेट किया गया है।

(i) समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिल

ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में सार आकस्मिक बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के मध्य ₹ 3,292.55 करोड़ की राशि के 8,128 बिल आहरित किए गए। डेटाबेस में विद्यमान जानकारी के अनुसार, ₹ 2,563.43 करोड़ की राशि के 7,005 समायोजन बिलों को इन बिलों के विरुद्ध डेटाबेस में समायोजित दर्शाया गया था। ₹ 729.12 करोड़ की राशि के 1,123 बिल (मई 2021 तक) दो से 37 माह के मध्य की अवधि के बाद समायोजन के लिए लंबित थे।

ई-बिलिंग डेटाबेस (तालिका: T_P_Bill_adjust) में सार आकस्मिक बिल संख्या और तिथि के साथ समायोजन बिलों का विवरण शामिल है, जिसके विरुद्ध समायोजन बिल को प्राथमिकता दी गई थी। इस तालिका में संग्रहीत डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2018-2021 के दौरान संसाधित 4,607[10] सार आकस्मिक बिलों के लिए समायोजन बिल प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 2,438 समायोजन बिल एक माह की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए थे। समायोजन बिल प्रस्तुत करने में देरी एक से 913 दिनों के मध्य थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग

[10] T_P_Token तालिका में समायोजित दिखाए गए 7,005 सार आकस्मिक बिलों में से 4,607 बिलों का विवरण "T_PBill_Adjust" तालिका में पाया गया और शेष 2,398 का विवरण तालिका में उपलब्ध नहीं था।

ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि समायोजन बिलों में देरी के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा और इसके लिए यथासमय निर्देश जारी किए जाएंगे।

यह सिफारिश की जाती है कि समायोजन के लिए लंबित बिलों की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट/डैशबोर्ड डिजाइन किया जाए।

5.7.4.5 ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली मॉड्यूल की जानकारी में विसंगतियां

ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस के मध्य डेटा के प्रवाह के बारे में चर्चा के दौरान उत्थान टीम ने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय में बिल की तैयारी और अनुमोदन के दौरान कैप्चर किए गए डेटा को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना में बिल भेजे जाने के बाद ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दोहराया जाता है। ई-बिलिंग और ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा का विश्लेषण करते समय, इन डेटाबेस की टी_पी_टोकन तालिकाओं में उपलब्ध जानकारी से पता चला कि कुछ बिलों के विरुद्ध, दोनों तालिकाओं में जानकारी अलग-अलग थी।

क) 780 मामलों में, ई-बिलिंग मॉड्यूल में तैयार किए गए बिलों के लिए "सकल राशि" कॉलम में मूल्य ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में संबंधित बिलों के सामने दर्शाए गए मूल्य से भिन्न था। आगे, "तैयार खाता" स्थिति वाले 11 बिलों में, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बिलों के लिए "सकल राशि" कॉलम का मूल्य ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा में संग्रहीत ₹ 229.23 लाख के विरुद्ध ₹ 149.44 लाख था, जैसा कि **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: सकल राशि में अंतर (बिलों की स्थिति तैयार लेखे के रूप में है)

क्र. सं.	बिल नंबर	ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में सकल राशि (₹ में)	बिलिंग डेटाबेस में सकल राशि (₹ में)
1.	05000602-2020-21-0039	13,56,300	10,60,330
2.	05000602-2020-21-0040	2,55,100	9,09,172
3.	05001405-2020-21-0001	1,69,098	35,834
4.	06041799-2020-21-0008	6,05,500	0
5.	09030794-2019-20-07-25-01	19,587	20,516
6.	10010924-2020-21-0004	51,370	19,900
7.	16000737-2020-21-05-13-02	41,31,439	41,38,881
8.	19000831-2020-21-04-42-01	16,08,888	12,79,464
9.	20000610-2020-21-04-46-02	68,86,153	11,23,785
10.	22072356-2020-21-0005	16,12,734	445
11.	24000582-2019-20-0017	62,27,220	63,55,254
	कुल	**1,49,43,581**	**2,29,23,389**

ख) 22,783 मामलों में ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में दर्ज बिलों की स्थिति ई-बिलिंग मॉड्यूल में दर्ज बिलों से भिन्न थी।

ग) तीन मामलों में, ई-बिलिंग मॉड्यूल में बिल तैयार करते समय कैप्चर किया गया आहरण एवं संवितरण अधिकारी_कोड ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में खजाना द्वारा पारित बिल से अलग था।

घ) 162 मामलों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बिल में दर्ज मुख्य शीर्ष ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में संग्रहीत बिल डेटा से भिन्न था।

ङ) 20 मामलों में, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस में कैप्चर किया गया विभाग कोड ई-बिलिंग मॉड्यूल डेटा में दर्शाए गए विभाग कोड से भिन्न था।

च) 83 मामलों में, दत्तमत/भारित व्यय का वर्गीकरण दोनों डेटाबेस में अलग-अलग था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया गया था।

यह अनुच्छेद दो एप्लिकेशनों में डेटा प्रवाह के बेमेल होने पर प्रकाश डालता है।

5.7.4.6 बिल प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बिल संसाधित करने में लगने वाले समय का विश्लेषण

निदेशालय, खजाना एवं लेखा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को इसके उद्देश्यों में से एक के साथ लागू किया था, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों के दौरान लगने वाले समय को कम करके दक्षता में सुधार करना और खजाना अधिकारी द्वारा अपने खजाना बैंकों के माध्यम से भुगतान करना शामिल था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान तैयार किए गए 34,14,330 बिलों का डेटा विश्लेषण विभिन्न चरणों के संबंध में किया गया था और इस विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(i) मेकर द्वारा बिल तैयार करना और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (चेकर) द्वारा अनुमोदन

यह देखा गया कि 32,50,656 बिल निर्माता द्वारा अनुमोदन के लिए चेकर को भेजे गए थे, जिनमें से 32,18,010 बिल और 32,646 बिल तैयार होने के क्रमशः सात दिनों के भीतर और आठ तथा 318 दिनों के मध्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

(ii) बिल रद्द कर दिए गए

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि डेटा विश्लेषण के लिए शामिल की गई अवधि के दौरान, उपयोगकर्ताओं द्वारा 95,078[11] बिल रद्द किए गए थे। उपलब्ध लेखापरीक्षा लॉग के साथ इन रद्द किए गए बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 5,706 बिल उनके बनने के सात दिनों के भीतर रद्द कर दिए गए थे और उनमें से 3,439 बिल तैयारी के दिन ही रद्द कर दिए गए थे। तैयारी के आठ तथा 327 दिनों के मध्य 2,091 बिल रद्द कर दिए गए।

(iii) खजाना में बिल के लिए टोकन नंबर का आबंटन

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए 34,14,330 बिलों में से, भुगतान के

[11] 34,14,330-32,50,656=1,63,674 {तैयारी अधीन बिल: 62,475; खजाना स्तर पर रद्द किए गए बिल: 6,121 और डी.डी.ओ. स्तर पर रद्द किए गए बिल :95,078 - पैरा 5.7.4.6(ii) में विश्लेषण किया गया।

लिए आगे की प्रक्रिया के लिए खजाना स्तर पर 31,92,166[12] बिलों को टोकन नंबर दिए गए थे। इन बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 9,62,602 बिलों को टोकन नंबर खजाने में बिलों की प्राप्ति के उसी दिन दिए गए थे और 17,39,779 बिलों को टोकन नंबर सात दिनों के भीतर दिए गए थे। तथापि, शेष 4,22,402 बिलों के लिए, टोकन नंबर आठ तथा 386 दिनों के मध्य दिए गए थे।

(iv) बिल क्लर्क द्वारा बिल पास करना

किसी बिल को टोकन आबंटित करने के बाद, बिल पास करने के लिए बिल पासिंग क्लर्क के लिए सुगम होता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि टोकन नंबर बिल आबंटित करने के बाद पासिंग क्लर्क ने 31,91,747 बिलों पर कार्रवाई की थी। इनमें से 26,80,305 बिल या तो बिल पास करने वाले क्लर्क द्वारा उसी दिन पास या अस्वीकार कर दिए गए और 5,11,362 बिल टोकन असाइनमेंट के सात दिनों के भीतर संसाधित किए गए। तथापि, शेष 80 बिलों को संसाधित करने में आठ से 42 दिनों के मध्य का समय लगा।

(v) खजाना अधिकारी द्वारा बिल सत्यापन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, खजाने में प्राप्त बिलों को टोकन नंबर आबंटित करने के बाद, बिल पास करने वाला क्लर्क इन बिलों की प्रक्रिया करता है और उन्हें सत्यापन के लिए खजाना अधिकारी के पास प्रस्तुत करता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 29,95,424 बिल खजाना अधिकारी को प्रस्तुत किए गए और 29,95,412 बिल खजाना अधिकारी द्वारा संसाधित किए गए। शेष 12 बिलों के लिए, टूपास_डेट के अंतर्गत स्थिति खाली थी। इनमें से 29,73,634 बिलों को खजाना अधिकारी द्वारा इन बिलों को टोकन नंबर दिए जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर सत्यापित किया गया था। तथापि, शेष 21,778 बिलों के सत्यापन में आठ से 646 दिनों की अवधि लगी।

इन बिलों के विश्लेषण से आगे पता चला कि आगामी वित्तीय वर्ष में 2,627 बिलों का निष्पादन खजाना अधिकारियों द्वारा किया गया।

(vi) खजाना अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेशन

खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित 29,49,027 बिलों[13] के विश्लेषण से पता चला कि 29,21,952 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट हुई थी। इनमें से, 28,98,352 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली खजाना अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन के सात दिनों के भीतर जनरेट हुई थी और 23,600 बिलों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आठ से 335 दिनों के मध्य की अवधि में जनरेट हुई थी।

---

[12] 34,14,330-31,92,166=2,22,164 (बिल निरस्त-95,078; तैयारी अधीन-62,097; चेकर को भेजे गए-17,705; खजाना को भेजे गए-25,233; वित्त विभाग से वापस किए गए-20,542; खजाना को भेजे गए-1,502 और तैयार लेखे-7)।

[13] 29,95,412-29,49,027=46,385 बिल खजाना अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे।

इस चरण के डेटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि 46 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सृजन अगले वित्तीय वर्ष में हुआ।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर

उत्थान टीम द्वारा वर्णित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट होने के बाद, इसे खजाना अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है। इस जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि 29,21,952 मामलों में से 1,403 मामलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। शेष 29,20,549 मामलों में से, 28,83,452 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेशन के तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे और शेष 37,097 बिलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर उनके जनरेशन के चार से 322 दिनों के मध्य की अवधि में हस्ताक्षर किए गए थे।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलिवरी

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंप दिया जाता है और उसके बाद बैंक भुगतान करने के लिए ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया करता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलीवरी डेटा के साथ हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डेटा (29,20,549 मामले) के विश्लेषण से पता चला कि 4,45,281 बिलों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली डिलीवरी की तिथि डेटाबेस में दर्ज नहीं की गई थी। शेष 24,75,268 मामलों में से, 24,72,575 मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली हस्ताक्षर के सात दिनों के भीतर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सौंप दी गई थी। तथापि, 2,693 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आठ से 519 दिनों के मध्य की अवधि में सौंपी गई थी।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 54 बिलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का वितरण आगामी वित्तीय वर्ष में खजाना अधिकारी द्वारा किया गया था।

(ix) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन

खजाना अधिकारी से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी प्राप्त होने के बाद, आहरण एवं संवितरण अधिकारी बैंक द्वारा भुगतान के लिए ट्रांजेक्शन को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन करता है। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि सत्यापन के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा खजाना अधिकारी से प्राप्त 24,75,268 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने 24,74,539 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित किया था और डेटाबेस के अनुसार, शेष 729 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली मामलों को अप्रैल 2021 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, 23,44,655 को उनकी डिलीवरी के तीन दिनों के भीतर सत्यापित किया गया था। तथापि, 1,29,884 मामलों में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को खजाना अधिकारी से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की डिलीवरी मिलने के चार से 262 दिनों के मध्य की अवधि में सत्यापित किया गया था।

44 बिलों में, डेटा विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आगामी वित्तीय वर्ष में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था।

(x) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के बाद, आदाता के खाते में भुगतान जमा करने के लिए बैंक द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित 24,74,539 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से, बैंकों ने भुगतान करने के लिए 24,73,857 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को सत्यापित किया था। इनमें से 23,25,126 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को बैंक द्वारा तीन दिनों के भीतर सत्यापित किया गया और शेष 1,48,731 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन के चार से 30 दिनों के मध्य की अवधि में सत्यापित किया गया।

38 बिलों में, डेटा विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अगले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा सत्यापित किया गया था।

(xi) भुगतान किया गया

बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली सत्यापित होने के बाद, भुगतान राशि आदाता के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक द्वारा सत्यापित 24,73,857 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में से 24,73,816 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का भुगतान बैंक द्वारा किया गया था। 24,70,763 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए भुगतान बैंकों द्वारा सत्यापन किए जाने के तीन दिनों के भीतर किया गया था और 2,162 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में भुगतान बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के सत्यापन के चार से 28 दिनों के मध्य की अवधि में किया गया था। तथापि, शेष 891 मामलों में, भुगतान बैंक द्वारा सत्यापन से पहले किया गया था। इन 891 मामलों में 38 ऐसे मामले शामिल हैं जिनका सत्यापन वर्ष 2021-22 में किया गया तथा भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि दो मामलों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का सत्यापन वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया था और भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया था।

(xii) बिलों को तैयार करने के बाद उन्हें अंतिम रूप देने में लिया गया समय

लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान तैयार किए गए 34,14,330 बिलों के विश्लेषण से पता चला कि 31,52,789 बिल खजानों द्वारा तैयार किए गए मासिक खातों का हिस्सा थे। इन बिलों की संवीक्षा से पता चला कि 102 बिलों के मामले में वाउचर इन बिलों को तैयार करने की तिथि से पहले तैयार किया गया था। शेष 31,52,687 बिलों में से 30,35,484 बिलों को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया गया और शेष 1,17,203 बिलों को 31 से 347 दिनों की अवधि में संस्वकृति दे दी गई।

डेटा विश्लेषण के दौरान यह भी अवलोकित गया कि इन बिलों को तैयार करने वाले वर्ष के

बाद के वर्ष के मासिक खाते में 931 बिल शामिल किए गए थे।

विभाग के "ऐज-इज" और "टू-बी डॉक्यूमेंट" दस्तावेजों की जांच से पता चला कि समय की खपत को कम करके बिलों की प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि को मापने के लिए, बिल भुगतान के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए मानदंड तय नहीं किए गए थे। प्रत्येक चरण में बिलों को संसाधित करने के लिए किसी निर्धारित मानदंड के अभाव में अत्यधिक समय लगने के मामले देखे गए और प्रत्येक चरण में लगने वाला अधिकतम समय 28 से 646 दिनों तक है।

(xiii) अंतिम निपटान हेतु लंबित बिल

लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई अवधि के दौरान, राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 34,14,330 बिल तैयार किए गए थे। बिल की अंतिम स्थिति दर्शाती है: "लेखे तैयार किए गए हैं" जिसका अर्थ है कि इन बिलों का भुगतान किया गया है तथा मासिक खातों में दर्शाया जाता है और "आहरण एवं संवितरण अधिकारी/खजाना अधिकारी/वित्त विभाग/वित्त विभाग में अर्थोपाय शाखा द्वारा रद्द/अस्वीकार कर दिया गया है"। इन 34,14,330 बिलों में से 33,05,355 बिलों के संबंध में ट्रांजेक्शन को अंतिम माना गया। तथापि, शेष 1,08,967[14] बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और **तालिका 5.6** में दिए गए विवरण के अनुसार बिल प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित थे।

तालिका 5.6: विभिन्न चरणों में बिलों का लंबित होना

बिलों की चरणवार स्थिति	मॉड्यूल	बिलों की संख्या	लंबित सीमा
बिल तैयार किए जा रहे हैं	ई-बिलिंग	62,097	04/18 से 03/21
चेकर के पास बिल लंबित हैं	ई-बिलिंग	17,705	04/18 से 03/21
संस्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है	ई-बिलिंग	1,751	04/19 से 02/21
खजाने में भेजा गया	ई-बिलिंग	25,233	10/18 से 03/21
बिल क्लर्क द्वारा पास	ओ.टी.आई.एस.	1	05/21
वेज एंड मीन्स से लंबित	ओ.टी.आई.एस.	38	-
खजाना अधिकारी द्वारा सत्यापित	ओ.टी.आई.एस.	56	05/19 से 03/21
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जनरेट हुआ	ओ.टी.आई.एस.	45	-
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली वितरित	ओ.टी.आई.एस.	1,050	-
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित	ओ.टी.आई.एस.	911	-
बैंक में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. फाइलें जनरेट हुई	ओ.टी.आई.एस.	4	-
बैंक में भुगतान सत्यापित किया गया	ओ.टी.आई.एस.	76	-
कुल		**1,08,967**	

यह अनुच्छेद विभिन्न चरणों/प्रक्रियाओं में बिलों को निपटाने के लिए बेंचमार्क के निर्धारण न करने के प्रभावों पर प्रकाश डालता है जिसके कारण बिलों का ट्रांजेक्शन लंबित हो गया और विभिन्न चरणों में बिलों को निपटाने में असामान्य समय लगा। इसके अलावा, अंतिम निपटान के लिए लंबित बिलों के मामले में बकाया देयताओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है (उप-पैरा 5.7.4.6 (xiii))।

[14] 34,14,330-33,05,355=1,08,975-1,08,967=8 इन आठ मामलों की स्थिति "ई-बिलिंग डेटाबेस में तैयार खाता" के रूप में दर्शाई गई थी। तथापि, ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटाबेस के अनुसार इन बिलों की स्थिति सात मामलों में "तैयारी अधीन" और एक मामले में "आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली" के रूप में दर्शाई गई थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी हितधारकों के साथ उचित चर्चा के बाद प्रत्येक चरण में बिलों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की जाएगी।

5.7.5 ई-पेंशन

ई-पेंशन मॉड्यूल निदेशालय खजाना एवं लेखा, हरियाणा (अक्तूबर 2012) द्वारा विकसित किया गया था। मॉड्यूल का उपयोग राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खजाना अधिकारियों (टी.ओ.) द्वारा प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन से संबंधित बिलों को पहले खजाना अधिकारी द्वारा संसाधित किया जाता है और बाद में, मासिक पेंशन को नियमित आधार पर पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) द्वारा वितरित किया जाता है। पेंशन संवितरण सेल, निदेशालय, खजाना एवं लेखा, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। ई-पेंशन मॉड्यूल का वर्कफ्लो **चार्ट 5.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.5: ई-पेंशन मॉड्यूल का वर्कफ्लो

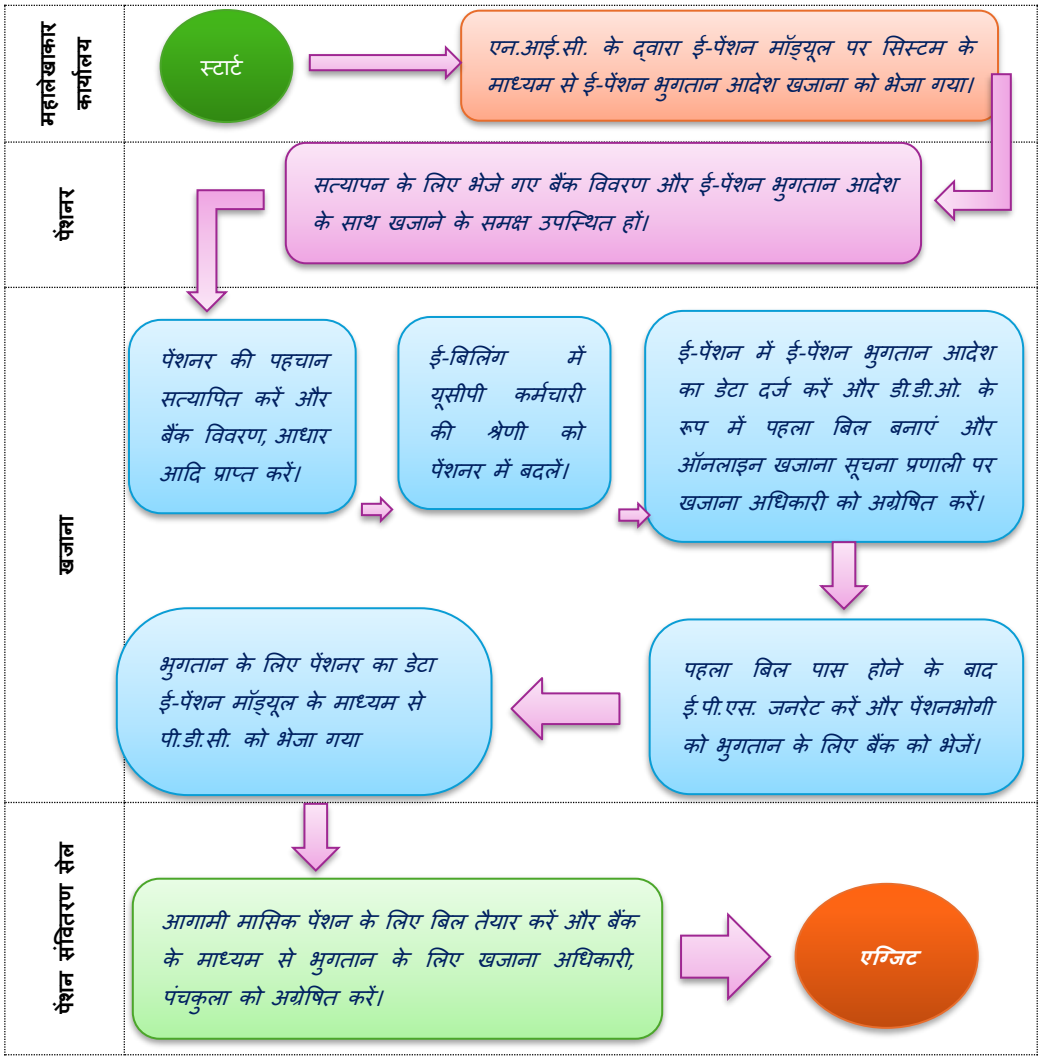

ई-पेंशन मॉड्यूल की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (आई.टी. लेखापरीक्षा) के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई:

5.7.5.1 अधिक भुगतान

(i) निर्धारित सीमा से अधिक ग्रेच्युटी राशि का भुगतान

मार्च 2017 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख होगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तो ग्रेच्युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

मासिक पेंशन डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि पांच मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान ₹ 20 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.7: ₹ 20 लाख की सीमा से अधिक ग्रेच्युटी का भुगतान

क्र. सं.	नाम श्री/सुश्री	आदाता कोड	डी.डी.ओ. कोड/स्टेशन	ग्रेच्युटी भुगतान की राशि (₹ में)	ग्रेच्युटी भुगतान की तिथि	भुगतान की गई ग्रेच्युटी की कुल राशि (₹ में)
1	सरोज बाला	0डी2एम2एफ	0765/रोहतक	17,06,562	15.05.2020	22,66,338
				5,59,776	22.03.2021	
2	ज्ञानचंद	0एच3क्यूबीओ	0765/कैथल	10,00,000	03.09.2016	21,70,350
				1,97,450	21.09.2017	
				72,900	18.10.2018	
				9,00,000	27.04.2016	
3	कर्ण सिंह	3ए0एल9बी	0765/पंचकुला	14,63,053	06.09.2019	22,40,264
				85,767	18.01.2020	
				6,91,444	16.04.2021	
4	मधु साहनी	4एफ1क्यूटीएफ	0765/गुरुग्राम	11,57,442	17.06.2017	21,57,442
				10,00,000	22.02.2019	
5	मंजू बाला	6ए1क्यूजेजे	0765/गुरुग्राम	11,12,549	22.03.2018	21,12,549
				10,00,000	25.09.2019	

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने भविष्य में अधिक भुगतान की संभावना से बचने के लिए ई-पेंशन प्रणाली में अपेक्षित जांच लागू की है।

(ii) पेंशन दो बार निकाली गई

1 अगस्त 2012 से पहले, हरियाणा सरकार के सिविल पेंशनर जो चंडीगढ़ के हरियाणा खजाना सहित राज्य में खजाना/उप-खजाना से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उनके पास खजाना या निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने का विकल्प था। तथापि, 01.08.2012 से पेंशन का भुगतान ट्रेजरी/पी.डी.सी. द्वारा पेंशनर के बैंक खाते में राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा किया जाएगा।

ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटाबेस और केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी) के डेटा के साथ इसके क्रॉस संदर्भ का विश्लेषण करते समय, यह देखा गया कि 51,659 मामलों में से, दो मामलों में पेंशनर भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) के माध्यम से दोहरी पेंशन प्राप्त कर रहे थे और 57 मामलों में पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) फील्ड में प्रविष्टि करते समय डेटा प्रविष्टि त्रुटियां थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि दो मामलों में वसूली की गई है और सभी खजानों को ई-पेंशन प्रणाली में सही डेटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

5.7.5.2 स्रोत से कर कटौती (टी.डी.एस.)

वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए पेंशनरों से टी.डी.एस. की कम कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 में प्रावधान है कि किसी भी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, जो 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य है, करदाता की अनुमानित आय पर 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत आयकर काटेगा। कर की गणना लागू दरों के आधार पर गणना की गई आयकर की औसत दर पर की जानी अपेक्षित है। कटौती वास्तविक भुगतान के समय की जानी है।

पूर्व नियोक्ता से प्राप्त की गई पेंशन वेतन के रूप में करयोग्य है। पेंशन संवितरण से पहले लागू आयकर की औसत दर पर स्रोत से कर कटौती करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी है।

ई-पेंशन मॉड्यूल के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि विभिन्न पेंशनरों से की गई स्रोत से कर कटौती लागू दरों के अनुसार नहीं थी। परिणामस्वरूप, 1,390 मामलों में, ₹ 3,16,18,441 की स्रोत से कर कटौती की राशि कम कटौती की गई। इससे ई-पेंशन मॉड्यूल में सत्यापन जांच की कमी का पता चला। स्रोत से कर कटौती की कम कटौती के उपर्युक्त 1,390 मामले वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) से संबंधित हैं। विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि ई-पेंशन मॉड्यूल में आयकर अधिनियम की अनुसूची VI के अनुसार कटौती के उद्देश्य से निवेश/व्यय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था।

वित्त विभाग परिवर्तन प्रबंधन अनुरोधों के माध्यम से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नियमों/प्रावधानों की मैपिंग और विभिन्न सत्यापन जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र बचत मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसके बाद इस मामले का समाधान किया जाएगा।

5.7.5.3 ई-पेंशन में पेंशनर विंडो

हरियाणा राज्य सरकार के पेंशनरों को उपयोगकर्ता_आई.डी. और पासवर्ड प्रदान किया गया है, जिसका उपयोग करके वे ई-पेंशन पर लॉग-इन करके, उन्हें किए गए पेंशन भुगतान का विवरण देख सकते हैं। पेंशनर केवल उसे किए गए पेंशन और पेंशन लाभ भुगतान की रिपोर्ट देख सकता है। पेंशनर द्वारा देखे गए पेंशन और संबंधित पेंशन लाभों के अधिक भुगतान के मामलों में, पेंशनर अलग से ई-ग्रास मॉड्यूल पर चालान बना सकता है और उसके विरुद्ध भुगतान कर सकता है।

ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनर विंडो की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि पेंशनर द्वारा अधिक भुगतान के विरुद्ध ई-ग्रास में जमा की गई राशि ई-पेंशन मॉड्यूल में दर्शाई नहीं गई थी। यह ई-ग्रास और ई-पेंशन मॉड्यूल के मध्य एकीकरण की कमी को दर्शाता है। इस वसूली राशि का प्रतिबिंबित न होना ई-पेंशन मॉड्यूल की कमी माना जाता है, जिसमें पेंशनर को पेंशन राशि की वसूली के प्रमाण के रूप में चालान की भौतिक प्रतियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

आगे, ई-पेंशन मॉड्यूल में यह देखा गया था कि पारिवारिक पेंशन के मामले में, वास्तविक पेंशनर के अभिलेख को ओवरराइट करके मूल पेंशनर का नाम पारिवारिक पेंशनर के नाम से बदल दिया गया था। यह चिंता का विषय है क्योंकि यह डेटा की वास्तविकता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

वित्त विभाग हिस्टोरिकल डेटा/सूचना के रूप में ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनरों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनरों के विवरण को कैप्चर करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि की गई वसूली का विवरण प्रदर्शित करने की कार्यक्षमता राष्ट्रीय सूचना केंद्र के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे, पेंशनर के नाम को पारिवारिक पेंशनर के नाम से बदलने के संबंध में, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ई-पेंशन प्रणाली को सही कर दिया है और अब पेंशनर के नाम को बदलने के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

5.7.5.4 पेंशनरों की शिकायत निवारण

निदेशालय खजाना एवं लेखा द्वारा तैयार किए गए 'टू बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट' के अनुसार, ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनरों की शिकायत निवारण कार्यक्षमता होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पेंशनरों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट विंडो/फोरम नहीं था। राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक सामान्य हेल्प डेस्क परिचालन में थी। तथापि, यह हेल्प डेस्क एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी मॉड्यूल के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग से राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पेंशनरों की शिकायत के निवारण के लिए नई कार्यक्षमता विकसित करने का निर्देश दिया। आगे, विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, पेंशनरों की शिकायतों को प्रस्तुत करने/निगरानी करने के लिए विशिष्ट विंडो के कार्यान्वयन पर कार्य कर रहा है।

5.7.5.5 पुत्री को पारिवारिक पेंशन का विनियमन

हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम, 2016 के नियम 8(10) बी(ii) में प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के सबसे बड़े अविवाहित और आश्रित पुत्र या पुत्री को दी जाए। आगे, नियम 8(10) बी(iv) में यह प्रावधान है कि यदि विधवा या 25 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे नहीं हैं, तो अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों में से आश्रित सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक या उस तिथि तक जब तक वह आजीविका

अर्जित करना शुरू नहीं करती, जो भी पहले हो, के लिए पारिवारिक पेंशन पर विचार किया जा सकता है। नियम 47 के अंतर्गत नोट यह निर्धारित करता है कि पुत्र या पुत्री या भाई-बहन या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) को, जैसा भी मामला हो, वर्ष में एक बार मार्च के माह में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि, (i) उसने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं किया है और (ii) उसने अभी तक शादी या पुनर्विवाह नहीं किया है। इसी तरह का प्रमाण-पत्र नि:संतान विधवा द्वारा अपने पुनर्विवाह के बाद या दिव्यांग पुत्र या पुत्री या माता-पिता द्वारा, जैसा भी मामला हो, पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष मार्च माह में प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू नहीं किया है।

ई-पेंशन मॉड्यूल की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि मॉड्यूल मृत पेंशनर की अविवाहित पुत्री की 25 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन रोक देता है। यदि पुत्री नियम 8(10) बी(iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित है, तो उसकी पेंशन जारी रखने के लिए मॉड्यूल में कोई प्रावधान नहीं था, जिससे पात्र पुत्रियां अपने योग्य लाभों से वंचित हो गई।

एक कुशल प्रणाली के लिए मॉड्यूल में प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ सभी बिजनेस नियमों की मैपिंग अपेक्षित है। यह देखा गया कि ई-पेंशन मॉड्यूल के फॉर्म में कुछ कमियां थी या अधूरी मैपिंग थी जिसके कारण पेंशनर को भुगतान के वितरण में अनावश्यक असुविधा/देरी हुई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के सभी सदस्यों का विवरण पेंशन मॉड्यूल में उनकी पात्रता तिथि के साथ दर्ज करने के लिए सूचित किया गया था।

5.7.5.6 डेटा में विसंगतियां

डेटाबेस में मास्टर डेटा पूर्ण और सटीक होना चाहिए क्योंकि ट्रांजेक्शन डेटा को मास्टर डेटा के विरुद्ध मान्य किया जाता है। 2018-19 से 2020-21 (अप्रैल 2021) की अवधि के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा और ई-पेंशन मॉड्यूल के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियां सामने आई:

क. जन्मतिथि

पेंशनरों का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए dbo_personal_detail नामक तालिका बनाई गई थी। डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 1,53,392 अभिलेखों में से 1,808 अभिलेखों में सिस्टम में दर्ज जन्मतिथि पेंशनभोगी की नियुक्ति की तिथि के बाद की थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 211 मामलों में, दर्ज की गई जन्मतिथि मृत्यु की तिथि के बाद की थी।

ख. पेंशनर का नाम

Dbo_personal_detail तालिका में उपलब्ध डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि एक ही नाम दो कॉलमों में दर्ज किया गया था, अर्थात पेंशनर के नाम के कॉलम में और रिलेटिव के नाम के कॉलम में।

ग. रिलेशन आई.डी.

पेंशनर के आश्रित के संबंध के कोड को दर्शाने के लिए डीबीओ_रिलेशन_मास्टर[15] तालिका बनाई गई थी जिसमें एक से नौ तक के वैल्यूज को परिभाषित किया गया था। तथापि, विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 10,66,973 अभिलेखों में से 74,114 में (ट्रांजेक्शन तालिका अर्थात् dbo.ecertificate में) रिलेशन कोड को "0" के रूप में कैप्चर किया गया था जो मास्टर तालिका में उपलब्ध नहीं था।

घ. शून्य वैल्यू

ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटा का शून्य वैल्यू के लिए विश्लेषण किया गया। डेटा का विश्लेषण करने के बाद, यह देखा गया था कि शून्य वैल्यू वाले अभिलेख थे, जैसा कि **चार्ट 5.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.6 : डीबीओ_पर्सनल_डिटेल तालिका में शून्य मान वाले अभिलेख

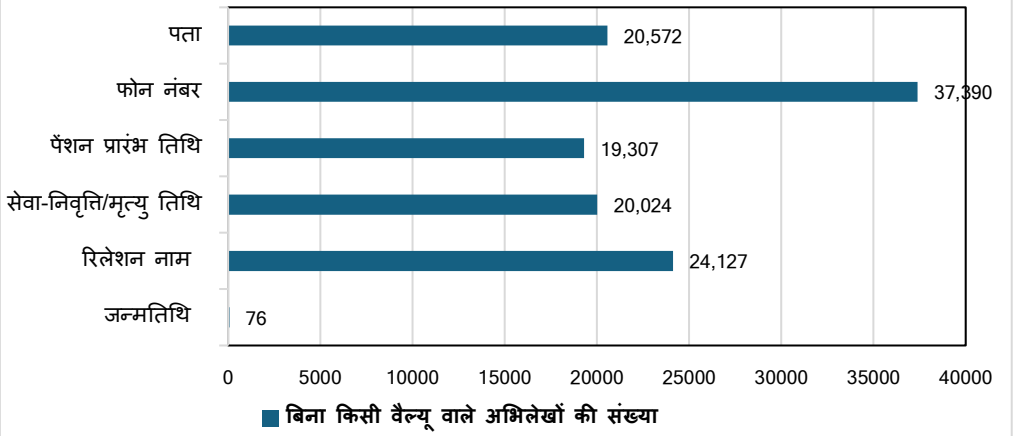

उपर्युक्त उदाहरण असंगत डेटा इनपुट को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में इनपुट सत्यापन जांच की अनुपस्थिति को इंगित करते हैं। आगे, वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से ई-पेंशन भुगतान आदेश {भेजा गया (एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज)} से स्वचालित इनपुट प्राप्त करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी खजाना अधिकारियों/सब-खजाना अधिकारियों को ई-पेंशन प्रणाली में उचित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि डेटा की विसंगतियों से बचा जा सके।

यह सिफारिश की जाती है कि जंक डेटा से बचने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल की मास्टर तालिका में वैध वैल्यू को कैप्चर करने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।

---

[15] 01 स्वयं, 02 पत्नी, 03 पति, 04 निःसंतान विधवा, 05 पुत्र, 06 पुत्री, 07 विधवा पुत्री, 08 तलाकशुदा पुत्री और 09 माता-पिता के लिए।

5.7.5.7 पूर्व-संशोधित दरों पर मासिक पेंशन का भुगतान

हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-I नियम, 2017 (मार्च 2017 में अधिसूचित) के नियम 5(3) के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से वृद्ध पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छोड़कर न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन ₹ 9,000 प्रति माह होगी।

इसके अलावा, नियम 10(1) निर्धारित करता है कि हरियाणा सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का वितरण संभालने वाले सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को समेकित दरों पर महालेखाकार कार्यालय/कार्यालय प्रमुख आदि से बिना किसी प्राधिकरण के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

ई-पेंशन मॉड्यूल **(तालिका: मंथली_पेंशन)** के अप्रैल 2021 माह के डेटा विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 332 पेंशनरों को मासिक पेंशन का भुगतान ₹ 3,500 प्रति माह की पूर्व-संशोधित दरों पर किया गया था। इसने बिजनस नियमों के साथ प्रोग्रामिंग लॉजिक की मैपिंग में देरी को दर्शाया।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि पेंशनरों से संपर्क करने के लिए सभी खजाना अधिकारियों/उप-खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

5.7.5.8 केंद्रीकृत पेंशन संवितरण सेल (पी.डी.सी.) से संबंधित अभ्युक्तियां

खजानों पर पेंशन संवितरण सेल में कोई निगरानी तंत्र नहीं

राज्य सरकार द्वारा परिचालित (जुलाई 2014) ई-पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन संवितरण सेल और विभिन्न खजानों/उप-खजानों के कार्यों के अनुसार, पेंशन संवितरण सेल को पेंशन का क्रेडिट, पेंशन का समय पर संशोधन, छुट्टी यात्रा रियायत भत्ते का समय पर क्रेडिट, पेंशन/आजीवन बकाया जारी करना, सरकार के आदेशों के अनुसार विभिन्न भत्तों का संशोधन और जारी करना, न्यायालय/सरकार/महालेखाकार कार्यालय जैसा कि दूसरों के मध्य लागू होता है, के आदेशों के अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी से वसूली सुनिश्चित करना था। ई-पेंशन मॉड्यूल में, संबंधित खजाना, महालेखाकार कार्यालय से नए पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्राप्त होने पर, सिस्टम में पेंशनर विवरण को मैप करता है और पहला पेंशन भुगतान करने के बाद, पेंशन भुगतान आदेश के डेटा को पेंशन संवितरण सेल में भेज देता है। बिल जनरेशन के बाद, पेंशन संवितरण सेल ने इस डेटा को पारित करने और पेंशन जारी करने के लिए पंचकुला खजाना को भेज दिया। संशोधित पेंशन भुगतान आदेश के कारण होने वाले परिवर्तन, महालेखाकार कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किया गया कोई भी संशोधन, प्रारंभिक डेटा सुधार, पेंशनर की मृत्यु की तिथि, स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और अन्य वसूली जैसे कोई भी बाद के परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो तो महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त संशोधित पेंशन भुगतान आदेश के कारण या अन्यथा कटौती केवल संबंधित खजाना द्वारा की जाती थी। पेंशन भुगतान आदेश का संरक्षक वह खजाना है जिसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसे जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि यद्यपि पेंशन संवितरण सेल को नियंत्रण प्राधिकारण के रूप में नामित किया गया था, यह पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मासिक भुगतान के अलावा उसे सौंपे

गए कार्यों को निष्पादित नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में ई-पेंशन मॉड्यूल में कोई ऐसी कार्यक्षमता नहीं पाई गई जो पेंशन संवितरण सेल को उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती हो। इस प्रकार, पेंशन संवितरण सेल यह सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था कि क्या खजाना द्वारा सही पेंशन वितरित की गई थी या यह जांचने के लिए कि राज्य भर में खजाना अधिकारियों द्वारा दावों के कितने मामले प्राप्त हुए थे और उन दावों को निपटाने के लिए खजाना अधिकारियों द्वारा कितना समय लिया गया था।

चूंकि पेंशन संवितरण सेल का गठन पेंशन के वितरण के साथ-साथ हरियाणा राज्य में सभी पेंशनरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए किया गया था, वित्त विभाग, पेंशन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए पेंशन संवितरण सेल को उत्तरदायी बनाने के लिए पेंशन संबंधी अन्य कार्यों जैसे महंगाई राहत में वृद्धि/वेतन आयोग के कारण पेंशन में संशोधन आदि के लिए पेंशन संवितरण सेल के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए पेंशन संवितरण सेल के अधिकारियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल में कार्यात्मकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने पर विचार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि ई-पेंशन मॉड्यूल के लिए डैशबोर्ड के प्रावधान के संबंध में राष्ट्रीय सूचना केंद्र से अनुरोध किया जाएगा ताकि खजाना अधिकारियों द्वारा संसाधित और उनके पास लंबित मामलों की निगरानी की जा सके।

5.7.5.9 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा

ई-बिलिंग के माध्यम से बिल तैयार करने के लिए मेकर और चेकर की अवधारणा है अर्थात मेकर और चेकर की उपयोगकर्ता आई.डी. अलग-अलग होती है, जहां मेकर बिल तैयार करता है तथा चेकर को उसकी जांच और अनुमोदन के लिए भेजता है। तथापि, ई-पेंशन मॉड्यूल में, ई-पेंशन में पेंशन बिल तैयार करने के लिए मेकर और चेकर की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जिसके माध्यम से पेंशन संवितरण सेल पेंशन बिल बनाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पेंशन संवितरण सेल में, मेकर की कोई अवधारणा नहीं थी क्योंकि सभी बिल केवल चेकर आई.डी. का उपयोग करके तैयार किए जा रहे थे। यह भी देखा गया कि एकल चेकर आई.डी. को संचालित करने के लिए सिस्टम की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए, बिल बनाने के लिए एक ही चेकर आई.डी. को कई सिस्टम पर एक साथ खोला जा सकता है। इन बिलों को पेंशन संवितरण सेल में किसी दूसरी जांच के बिना पेंशन बिलों को पास करने के लिए चेकर द्वारा खजाना अधिकारी, पंचकुला के पास भेजा गया था। इस प्रैक्टिस ने खाता सुरक्षा से समझौता किया, जिससे बिना निगरानी के धोखाधड़ी और अनधिकृत ट्रांजेक्शन की संभावना बढ़ गई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र की टीम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग आई.डी. बनाने का अनुरोध किया गया था जैसे पेंशन से संबंधित कार्य करने वाले डी.ई.ओ. के लिए मेकर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए चेकर और संयुक्त निदेशक (पेंशन संवितरण सेल), सब-खजाना अधिकारी (पेंशन संवितरण सेल), प्रोग्रामर (पेंशन संवितरण सेल) के लिए विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ यूजर_आई.डी., जैसा कि ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली में किया जा रहा है।

5.7.6 ई-ग्रास मॉड्यूल

चालान की वैधता समाप्त होने के बाद जमा की स्वीकृति

हरियाणा सरकार अपने ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से प्राप्तियां स्वीकार करती है, जहां उपयोगकर्ता, विभाग, मुख्य शीर्ष, भुगतान का उद्देश्य, राशि आदि का विवरण दर्ज करके चालान जनरेट करता है। भुगतान या तो ऑनलाइन या खजाना बैंक काउंटर पर किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान वैधता तिथि भी प्रदर्शित करता है, जिस तिथि तक भुगतान खजाना बैंक में जमा किया जा सकता है।

चार्ट 5.7: ई-ग्रास मॉड्यूल का वर्कफ्लो मॉड्यूल

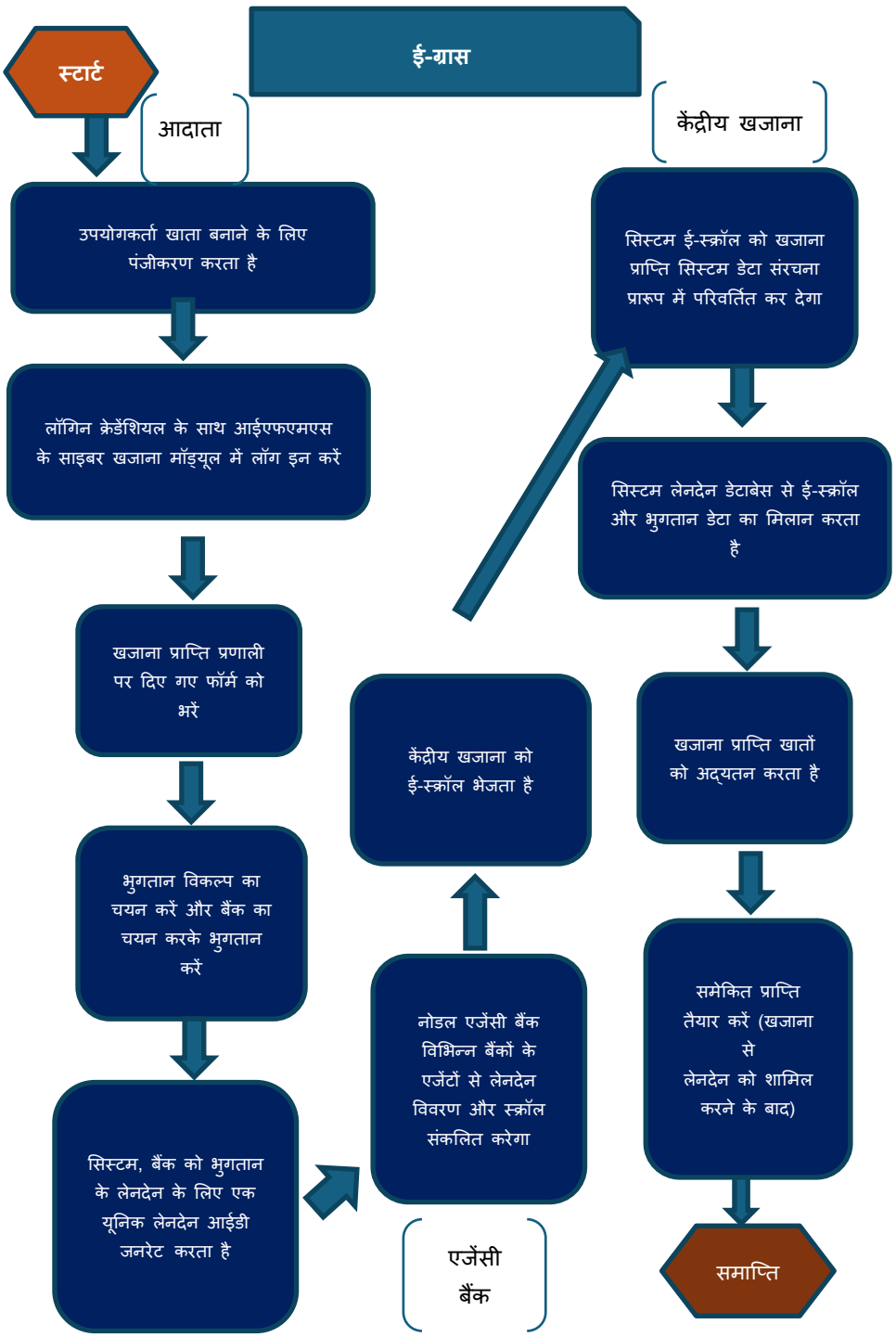

ई-ग्रास मॉड्यूल के डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जनरेट की गई 3,72,66,077 सरकारी संदर्भ संख्या (जीआरएन) में से 2,69,44,908 सरकारी संदर्भ संख्या के विरुद्ध भुगतान किया गया। आगे यह देखा गया था कि पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, चालान पर दी गई वैधता अवधि की समाप्ति के बाद 11,130 सरकारी संदर्भ संख्या के विरुद्ध भुगतान स्वीकार किया गया था। सरकारी संदर्भ संख्या वैधता के बाद भुगतान की स्वीकृति एक से 186 दिनों के मध्य है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.7.7 ई-बजट

बजटिंग मॉड्यूल की संकल्पना प्राप्तियों और व्यय के लिए बजट अनुमानों को पूरा करने के लिए की गई है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान वास्तविक हैं, बजट तैयारी मॉड्यूल को विभिन्न प्रक्रिया कार्यों के साथ एकीकृत करके तैयार किया गया है। यह प्रणाली वित्त विभाग, बजट संवितरण प्राधिकारी/बजट संवितरण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को बजट संबंधी कार्य करने में सक्षम बनाती है। ई-बजट मॉड्यूल का वर्कफ्लो **फ्लो चार्ट 5.8** के अनुसार नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 5.8: ई-बजट मॉड्यूल का वर्कफ्लो मॉड्यूल

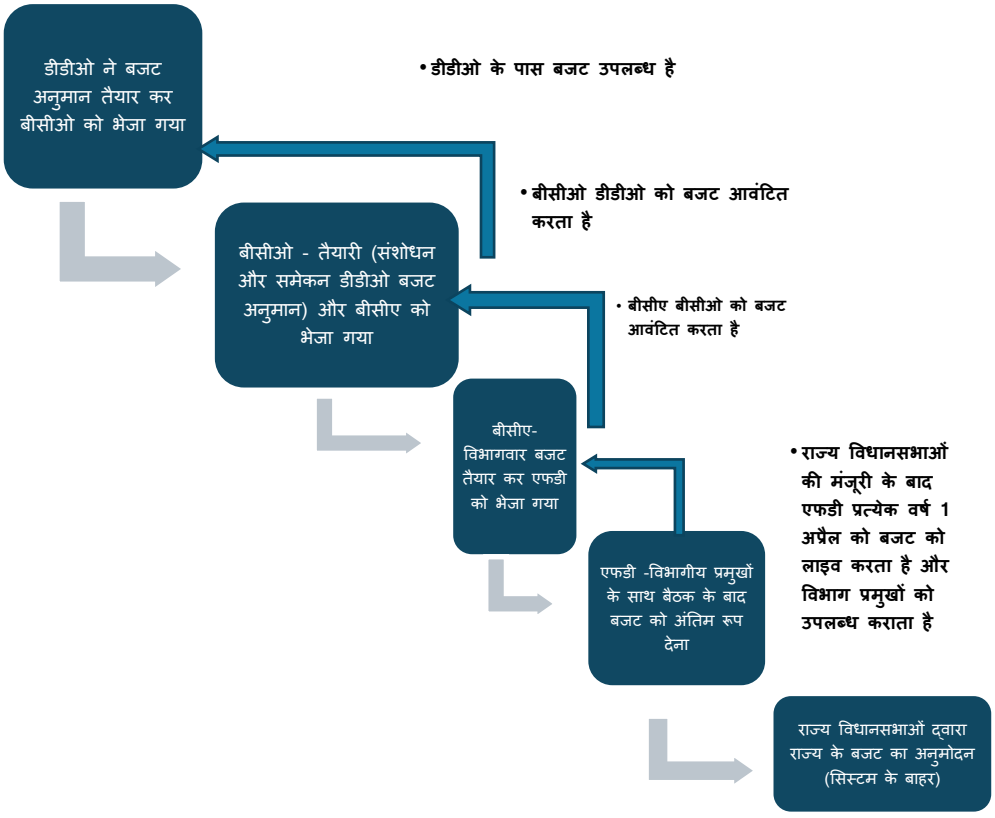

5.7.7.1 बजट पुनर्विनियोग

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल का पैरा 14.5 प्रावधान करता है कि एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग, दत्तमत से भारित और इसके विपरीत, एक ही अनुदान के भीतर पूंजीगत शीर्ष से राजस्व शीर्ष और इसके विपरीत तथा वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा पैरा 14.8 के अनुसार, मुख्य, लघु या अधीनस्थ शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अनुदान के भीतर पुनर्विनियोग को वित्त विभाग द्वारा पैराग्राफ 14.5 में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन स्वीकृति दी जाए। पैराग्राफ 14.9(4) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभाग को दत्तमत और भारित दोनों व्यय के संबंध में एक मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्षों के मध्य अनुदान के भीतर पुनर्विनियोग की शक्तियां सौंपी थी।

i) पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण का अभाव

चर्चा के दौरान, विकास टीम ने बताया कि तालिका "TEMP_SCHM_EXP_ REAPPROPRIATION" को विनियोग यूनिट-वार आहरित और आबंटित निधियों का विवरण कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि **तालिका 5.8** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 42.58 करोड़ की निधि को दत्तमत से भारित सेक्शन और एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग किया गया था।

तालिका 5.8: अनुचित पुनर्विनियोग

क्र. सं.	वर्ष	दत्तमत से प्रभारित की गई राशि को पुनर्विनियोग किया गया (₹ में)	अंतर अनुदान पुनर्विनियोग की राशि (₹ में)
1.	2018-19	13,98,00,000	-
2.	2019-20	5,10,00,000	-
3.	2020-21	-	23,50,00,000
	कुल	**19,08,00,000**	**23,50,00,000**

विभाग के बिजनेस नियमों के अनुसार पर्याप्त सत्यापन जांच के अभाव में, प्रणाली अनियमित पुनर्विनियोग लेनदेन के प्रसंस्करण की अनुमति दे रही थी।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अनुमत नहीं होने वाले पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में उचित बदलाव शामिल करने के लिए कहा गया था।

ii) अधूरी जानकारी कैप्चर की गई

ई-बजट डेटाबेस के विश्लेषण के दौरान और जैसा कि उत्थान टीम ने भी पुष्टि की है, तालिका "TEMP_SCHM_EXP_ REAPPROPRIATION" को विभिन्न सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिकृत पुनर्विनियोग से संबंधित विवरण कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तालिका में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विनियोग इकाइयों, निकाली गई राशि, आबंटित राशि, ट्रांजेक्शन की तिथि आदि का विवरण कैप्चर किया जा रहा है। तथापि, संस्वीकृति संख्या, संस्वीकृति की तिथि, संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी आदि से संबंधित विवरण

तालिका में कैप्चर नहीं किए जा रहे हैं। इस जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा को कोई आश्वासन नहीं मिल सकता है कि क्या प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सिस्टम में कैप्चर किए गए सभी पुनर्विनियोग के लिए संस्वीकृति संख्या/तिथि के इंदराज का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को निर्देश जारी किए गए थे।

iii) पुनर्विनियोग के दौरान निकाली गई राशि और आबंटित राशि के मध्य अंतर

विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग (डायवर्जन) के लिए उपयोगिता दर्शाने के दौरान, यह देखा गया था कि वेबपेज (बजट पुनर्विनियोग फॉर्म) के पहले भाग में विनियोग इकाई के स्रोत, निकाली जाने वाली राशि का विवरण कैप्चर किया गया है और दूसरे भाग में नियत विनियोग इकाई और आबंटित राशि कैप्चर की गई है। सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियोग की स्रोत इकाई (इकाइयों) से निकाली गई राशि की मात्रा पूरी तरह से विनियोग की निर्धारित इकाई (इकाइयों) में अंतरित हो जाती है।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि विभिन्न विनियोग इकाइयों से ₹ 29,577.22 लाख की राशि निकाली गई और केवल ₹ 29,576.95 लाख आबंटित किए गए। दो लेनदेनों में देखी गई निकासी और आबंटन राशि के मध्य का अंतर निम्नलिखित **तालिका 5.9** में वर्णित है।

तालिका 5.9: आहरण और आबंटन के मध्य अंतर

(राशि ₹ में)

वर्ष	आहरित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि से अधिक (+)/कम (-) आहरित राशि
2018-19	29,00,000	शून्य	(-) 29,00,000
2019-20	50,000	2,50,000	(+) 2,00,000

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र को आहरण और आबंटित राशि के मध्य के अंतर से बचने के लिए उचित सत्यापन जांच शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

5.7.8 बिजनेस नियमों के साथ असंगत प्रोग्रामिंग तर्क

बिजनेस नियमों के साथ प्रोग्रामिंग तर्क की असंगतता के उदाहरण देखे गए, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

5.7.8.1 असंवितरित राशि को राजस्व शीर्ष में जमा करना

मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के पैरा 3.10 में प्रावधान है कि अधिक भुगतान की वसूली, चाहे वह नकद में की गई हो या किसी बिल से कम आहरण द्वारा, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें ऐसे अधिक भुगतान किए गए थे, संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में दर्ज की जाएगी। आगे, पिछले वर्ष से संबंधित अधिक भुगतान की वसूली को विनियोग खातों

में कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सकल व्यय को प्रभावित किए बिना संबंधित मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे विशिष्ट लघु शीर्ष 'अधिक भुगतान की कटौती वसूली' (कोड '911') के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्तमान या पिछले वर्षों की वसूली और अव्ययित शेष के कारण ₹ 22.18 करोड़ की राशि राजस्व शीर्ष (0235-सामाजिक न्याय और अधिकारिता) में जमा की गई थी। ये पुनर्प्राप्तियां मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई के अनुरूप होना अपेक्षित हैं। तथापि, यह देखा गया था कि ई-बिलिंग/ई-ग्रास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिससे व्यय साइड पर क्रेडिट प्रविष्टियों और प्राप्ति साइड पर डेबिट प्रविष्टियों की अनुमति दी जाए। इस प्रकार, लेखों के प्राप्ति शीर्षों में वसूली/अव्ययित शेष राशि जमा करने के परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय और बढ़ी हुई प्राप्तियों की तुलना में अतिरिक्त व्यय की बुकिंग हुई।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि लघु शीर्ष 911 "अधिक भुगतान की कटौती वसूली" का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और लेखापरीक्षा के परामर्श से परिचालन किया जाएगा।

5.7.8.2 यातायात उल्लंघनों के कारण एकत्रित प्राप्तियों को जमा करने के लिए विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण का अभाव

हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि पिछले वित्तीय वर्ष में निधि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के दौरान एकत्र की गई कंपोजीशन फीस के 50 प्रतिशत के बराबर बजट का प्रावधान राज्य के वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा और नियम 3(2) के अनुसार, व्यय को शीर्ष अर्थात 2041-वाहनों पर कर (योजना), लघु शीर्ष 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण, उप-शीर्ष 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियामक विंग का कंप्यूटरीकरण, वस्तु शीर्ष 34-अन्य शुल्क (सड़क सुरक्षा) से पूरा किया जाएगा। निधि के लेखांकन और वर्गीकरण को नियम 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके संदर्भ में लघु शीर्ष 101 (भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां) के अंतर्गत एक अलग उप-शीर्ष (मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान के कारण समझौता शुल्क), मुख्य शीर्ष 0041 (वाहनों पर कर) खोला जाएगा जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समझौता शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशि जमा की जाएगी। निधि को आबंटित राशि परिवहन विभाग की मांग संख्या 34 के अंतर्गत शीर्ष 2041-वाहनों पर कर (योजना), लघु शीर्ष 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण, उप-शीर्ष 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियामक विंग का कम्प्यूटीकरण, वस्तु शीर्ष 34-अन्य शुल्क के अंतर्गत दर्शाई जाएगी।

ई-ग्रास डेटा और वेब-पोर्टल के विश्लेषण से पता चला कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वर्णित नियम 4 के अनुसार अपेक्षित उप-शीर्ष नहीं खोला गया है। परिणामस्वरूप, पुलिस विभाग ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान यातायात चालान से प्राप्त राशि के रूप में एकत्रित ₹ 106.83 करोड़ को मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस में लघु शीर्ष 103-शुल्क, जुर्माना और जब्ती, 98-यातायात चालान से प्राप्तियां निर्धारित मुख्य शीर्ष 0041 की बजाय शीर्षों में जमा

किया। उचित वर्गीकरण के अभाव में, परिवहन विभाग द्वारा यातायात उल्लंघनों के लिए एकत्र की गई प्राप्तियों की जमा राशि का भी सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि यातायात उल्लंघनों के कारण एकत्र की गई प्राप्तियों को जमा करने के लिए कोई विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण नहीं खोला गया था।

आगे, विशिष्ट लेखांकन वर्गीकरण के अभाव में, उपर्युक्त नियम 3(1) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि यातायात उल्लंघन से प्राप्तियों को जमा करने के लिए विशिष्ट खाते के संचालन के संबंध में मामले को पुलिस और परिवहन विभाग के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

5.7.8.3 कार्य संरचनाओं में स्टॉक उचंत

केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से केंद्र और राज्य सरकार के लिए समान लेखांकन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इनमें, अन्य के अलावा, सरकारी लेखा नियम, 1990 (जी.ए.आर.) तथा मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची (एल.एम.एम.एच.) शामिल हैं। सिद्धांतों के अनुसार, निर्माण कार्य विभागों द्वारा सामग्री (स्टॉक) की प्राप्ति, निर्माण के लिए सामग्री जारी करना, निर्माण से स्टोर में वापसी और लेखा इकाई के भीतर इंट्रा-ट्रांसफर से संबंधित ट्रांजेक्शन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

(i) लेखा शीर्ष सूची के अनुसार संबंधित राजस्व/पूंजी शीर्ष के लघु शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत उप-शीर्ष स्टॉक के अंतर्गत डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से संपत्ति के रूप में खरीदी गई सामग्री की खरीद और वर्गीकरण। उचंत के अंतर्गत स्टॉक के इस वर्गीकरण को संचयी रूप से स्टॉक उचंत के रूप में पहचाना जाता है

(ii) स्टॉक उचंत को क्रेडिट किया जाता है और कार्य के लिए सामग्री के अंतरण पर संबंधित कार्य के लेखा से डेबिट किया जाता है।

(iii) कार्यों के निष्पादन के दौरान इस सामग्री की प्राप्ति, भंडारण और उपयोग पर नजर रखने के लिए साइट पर सामग्री रजिस्टर (एम.ए.एस.) का रखरखाव किया जाता है।

(iv) अधिशेष सामग्री को संबंधित कार्य के लेखांकन वर्गीकरण को जमा करके और स्टॉक उचंत को डेबिट करके स्टोर में वापस कर दिया जाता है।

स्टॉक उचंत के अंतर्गत सामग्री की खरीद के लिए ऐसे लेखांकन वर्गीकरण के अंतर्गत बजट का प्रावधान अपेक्षित होता है।

2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-बजट डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2059, 2215 और 4215 को छोड़कर स्टोर उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के मुख्य शीर्ष 4215 को छोड़कर, ई-बजट डेटा तालिका में वर्ष 2016-17 से संचयी व्यय शून्य दर्शाया गया है। आगे, ऑनलाइन

खजाना सूचना प्रणाली (ओ.टी.आई.एस.) में उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई संबंधित बिल नहीं पाया गया।

उचित लेखांकन प्रक्रिया के अभाव में, अप्रयुक्त/अधिशेष सामग्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि मामले को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से निर्माण विभाग के साथ उठाया जाएगा।

5.7.8.4 लोक निर्माण लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) का कार्यान्वयन

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य बजट नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना, लेखों के दिन-प्रतिदिन समाधान को बढ़ावा देना, लेखों की तैयारी के लिए सटीकता और समयबद्धता में सुधार करना आदि था।

"टू-बी प्रोसेस एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट" में संकल्पना की गई थी कि निर्माण/वन मंडलों द्वारा बनाए गए लेखों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना था। यह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अपने सिस्टम में डेटा एक्सट्रेक्ट/पोर्ट करके वैधानिक लेखों को संकलित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करने के लिए भी था, जिससे महालेखाकार के साथ समाधान के मुद्दों को कम/समाप्त किया जा सके।

तथापि, लोक निर्माण लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन लेखों के संबंध में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से कोई डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्तमान में, लोक निर्माण लेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की तैयारी के स्तर पर खजाना के साथ एकीकृत किया गया है जो कि पहले उपयोग की गई चेक प्रणाली का प्रतिस्थापन है। प्रेषण शीर्ष 8782-102 का प्रचालन अभी भी चालू है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त सभी विभागीय प्राप्तियां, शीर्ष 8782-102-95 के अंतर्गत ई-चालान जनरेट करके (विभाग, जिला, खजाना, कार्यालय कोड (आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड), लेखा शीर्ष, भुगतान मोड- नेट बैंकिंग/चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.), भुगतान प्रकार, निविदाकर्ता का विवरण जैसी फील्ड का चयन करके) खजाना में प्रेषित की जाती हैं जो विभागीय लेखा शीर्ष 8782-102-95 के डेबिट और संबंधित प्राप्ति शीर्ष के अनुरूप क्रेडिट के रूप में शामिल की गई हैं (जिसके लिए उस प्राप्ति को संबंधित प्राप्ति शीर्ष जैसे 0215, 0059, 0700, 8443 में वसूल किया गया है)।

मंडलीय अधिकारियों को खजाना अधिकारी से यह सत्यापित करना अपेक्षित है कि शीर्ष 8782-102 के अंतर्गत संबंधित क्रेडिट खजाना लेखा में विधिवत प्राप्त हुआ है। जनरेट ई-चालान

19 दिनों की अवधि (ई-बैंकिंग मोड भुगतान के अलावा) के लिए वैध रहता है, जिसके दौरान ई-चालान को नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि के साथ खजाना/बैंक में जमा किया जा सकता है और किसी विशेष माह के अंतिम सप्ताह के दौरान जनरेट चालान कभी-कभी उस विशेष माह की समाप्ति के बाद खजाना में वास्तव में प्रस्तुत किए गए चालान/क्लीयरेंस प्राप्त करने के कारण खजाना खातों में शामिल किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, राशि को अगले माह में खजाना खातों में शामिल किया जाता है और कभी-कभी खजाना में चालान जमा न होने या चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि के अस्वीकार होने के कारण राशि समायोजित नहीं हो पाती है।

खजाना प्रणाली में ई-ग्रास के माध्यम से प्रेषित प्रत्येक प्राप्ति को निर्दिष्ट राजकोष में लिंक किया जाता है। शीर्ष 8782-102 के अंतर्गत जमा किए गए चालान की राशि को खजाना खातों में शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट और रिज़र्व बैंक जमा (8675) में डेबिट के रूप में दर्शाया गया है। ई-ग्रास (अप्रैल 2014 से प्रभावी) के प्रारंभ से, साइबर खजाना, चंडीगढ़ के माध्यम से राज्य के सभी खजानों के लिए शीर्ष 8782-102 के लिए प्राप्ति की अनुसूची प्राप्त की जाती है (किसी विशेष खजाना के अंतर्गत प्राप्तियों का मंडल-वार विवरण दर्शाए बिना)। मंडल-वार विवरण के अभाव में, मद-वार मंडलीय आंकड़ों को खजाना आंकड़ों के साथ मिलाना संभव नहीं हो सका है, जिससे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय में अपूर्ण ब्रॉडशीट तैयार की गई है।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि वर्तमान में, खजाना और निर्माण/वन मंडल अपने विवरण (लेखा) भौतिक प्रति में महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं। महालेखाकार कार्यालय इन लेखों के संबंध में सभी कार्यालयों के लेखों को संकलित करता है। इस प्रकार, लोक निर्माण और वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के कारण, इन लेखों के संबंध में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से कोई डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका।

केस स्टडी के रूप में, प्राप्ति शीर्ष 0215 के संबंध में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए बजट दस्तावेज और ई-ग्रास डेटा में उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण निम्नलिखित लेखांकन वर्गीकरणों के लिए किया गया है:

(i) 0215-01-102-51-51

(ii) 0215-01-103-51-51

(iii) 0215-02-102-51-51

(iv) 0215-02-103-51-51

यह देखा गया कि बजटीय डेटा और ई-ग्रास मॉड्यूल में उपलब्ध डेटा के मध्य आंकड़ों में भिन्नता है। इसका विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है:-

तालिका 5.10: बजट डेटा और ई-ग्रास डेटा के मध्य भिन्नता

(राशि ₹ में)

वर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
लेखा शीर्ष	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां	बजट दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां	ई-ग्रास डेटा के अनुसार प्राप्तियां
0215-01-102-51-51	8,28,63,788	3,77,253	4,72,64,073	1,80,518	3,11,66,471	1,90,254
0215-01-103-51-51	37,19,85,269	12,09,792	38,64,71,145	1,01,540	43,48,56,940	1,07,793
0215-02-102-51-51	0	37,400	40,235	44,245	0	35,080
0215-02-103-51-51	4,11,71,870	2,76,653	6,33,36,239	50	10,23,44,277	0

विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लोक निर्माण/वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि मामले को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परामर्श से वन और निर्माण विभाग के साथ उठाया जाएगा।

5.7.8.5 आदाताओं के यूनिक कोड को लॉक करना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान यूनिक आदाता कोड (यू.सी.पी.) के माध्यम से प्रत्येक प्राप्तकर्ता की पहचान करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वास्तविक आदाता को अंतरित कर दिया जाता है। आदाताओं के विवरण संग्रहीत करने के लिए बनाई गई मास्टर तालिका में नाम, सामान्य भविष्य निधि नंबर, पी.आर.ए.एन., बैंक खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. कोड आदि शामिल हैं। प्राप्तकर्ता को भुगतान जमा करने के लिए बैंक विवरण महत्वपूर्ण हैं। उपयोगकर्ता मैनुअल की जांच से पता चला कि आदाता के पास किसी के भी अनधिकृत एडिटिंग से बचने के लिए अपने बैंक विवरण को फ्रीज करने का विकल्प है, तथापि, आदाता द्वारा इस जानकारी को अनफ्रीज करने के बाद इस जानकारी को मेकर द्वारा एडिट किया जा सकता है। इन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को मेकर द्वारा एडिट किए जाने के बाद, चेकर को मेकर द्वारा किए गए परिवर्तनों को सत्यापित और अनुमोदित करना था।

यूनिक आदाता कोड से संबंधित विवरण वाली मास्टर तालिका (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) की जांच से पता चला कि 83,01,425 इनेबल्ड यूनिक आदाता कोड में से 82,98,616 में, आदाताओं ने अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल लॉक नहीं किए थे। आदाता द्वारा जानकारी लॉक न करने से उसकी सहमति के बिना महत्वपूर्ण जानकारी की अनधिकृत एडिटिंग हो सकती है। यहां बताई गई स्थिति से यह स्पष्ट है कि वास्तविक आदाताओं को इस महत्वपूर्ण जानकारी को लॉक करने के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी।

एक केस स्टडी के रूप में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी की अनुपालन लेखापरीक्षा (सितंबर 2021) के दौरान यह देखा गया था कि ई-सैलरी मॉड्यूल के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने के बजाय, क्लर्क (मेकर) ने एक भौतिक फाइल तैयार की और फाइल पर भुगतान

के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (चेकर) की संस्वीकृति प्राप्त की। इन संस्वीकृतियों को क्लर्क द्वारा ई-सैलरी सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया था, जिसकी बाद में चेकर अर्थात आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जांच की जानी अपेक्षित थी। इसके बाद इसे भुगतान के लिए खजाना में ऑनलाइन भेजा गया। खजाना अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली) जनरेट किया और डीलिंग क्लर्क ने चेकर (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए क्योंकि क्लर्क के पास चेकर का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र था। इसके बाद क्लर्क ने आदाताओं को भुगतान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को संबंधित बैंक को भेज दिया। यह देखा गया था कि क्लर्क ने आदाता की सहमति के बिना लाभार्थी के बैंक खाते के विवरण बदल दिए थे और अनधिकृत रूप से चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का उपयोग करके इन परिवर्तनों को स्वीकृति दे दी थी। बैंकिंग विवरण लॉक न होने के कारण यह चूक संभव हो सकी। परिणामस्वरूप, ₹ 54.27 लाख की राशि अनधिकृत खातों में अंतरित कर दी गई और संदिग्ध गबन होने का आकलन किया गया था।

लेखापरीक्षा में मामला इंगित किए जाने के बाद, तत्काल उपाय के रूप में, खजाना एवं लेखा विभाग द्वारा सभी यूनिक आदाता कोड (कर्मचारी, थर्ड पार्टी, पेंशनर) को 06 अक्तूबर 2021 के अपने आदेशों के अंतर्गत एक अस्थायी उपाय के रूप में एडिटिंग उद्देश्यों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था। बैंक विवरण में परिवर्तन करने का विकल्प केवल संबंधित खजाना कार्यालयों को शपथ-पत्र के साथ संबंधित वांछित दस्तावेजों के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराया गया था।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी यूनिक आदाता कोड को अवरुद्ध कर दिया गया था (अक्तूबर 2021) और यूनिक आदाता कोड की क्रेडेंशियल्स में किसी भी बदलाव के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यूनिक आदाता कोड को केवल तत्काल उपाय के रूप में अवरुद्ध किया गया था और खजाना कार्यालयों द्वारा यूनिक आदाता कोड के संपादन उद्देश्यों के लिए तुरंत एक मॉड्यूल विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र को निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, यह देखा गया कि अब तक ऐसा कोई मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था।

5.7.8.6 रेलवे से प्राप्त होने वाली लागत को ट्रैक करने की कार्यक्षमता का अभाव

सरकारी लेखांकन नियम 1990 के अनुसार, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) का खर्चा ('अपराध' और 'पुलिस आदेश' के भेद के बिना) राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के मध्य 50:50 के आधार पर साझा की जानी है बशर्ते कि राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या रेलवे की स्वीकृति से निर्धारित की जाए। हरियाणा राज्य में, राजकीय रेलवे पुलिस, हरियाणा के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों के भुगतान पर किए गए खर्चों के बिल राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा राज्य के बजट (मुख्य शीर्ष-2055) से आहरित किए गए थे। फिर राजकीय रेलवे पुलिस अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करती है और रेल मंत्रालय को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले सत्यापन के लिए

इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा को प्रस्तुत करती है। बदले में रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस हरियाणा को दावा किया गया 50 प्रतिशत हिस्सा वितरित करता है, जिसे बाद में प्रमुख शीर्ष 0055-पुलिस के अंतर्गत जमा किया जाता है।

ई-ग्रास डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि रेल मंत्रालय से प्राप्त 50 प्रतिशत हिस्सा मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस के अंतर्गत जमा किया जा रहा था। तथापि, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध कार्यात्मकताओं के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि रेलवे से दावा, वसूली और वसूली के लिए लंबित खर्चों के हिस्से की तुलना में राजकीय रेलवे पुलिस पर राज्य द्वारा किए गए व्यय के विवरण के संकलन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के किसी भी मॉड्यूल के अंतर्गत कोई कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी।

विभाग ऐसे व्यय की बुकिंग के लिए उचित लेखांकन वर्गीकरण को शामिल करने पर विचार करे और राजकीय रेलवे पुलिस पर किए गए व्यय की राशि को रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि और प्राप्त की गई वास्तविक प्रतिपूर्ति राशि पर विचार करके वसूली हेतु लंबित राशि का आकलन करने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार करे।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि पुलिस विभाग द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति राशि को प्राप्ति शीर्ष में जमा करने से व्यय और प्राप्ति दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा था। विभाग ने बताया कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के परामर्श से उचित लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

5.7.8.7 नियोक्ता के अंशदान का क्रेडिट

हरियाणा सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया (दिसंबर 2008) और इस योजना का नाम बदलकर हरियाणा नई पेंशन योजना (एच.एन.पी.एस.) कर दिया। सरकार ने संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान को जमा करने के लिए मुख्य शीर्ष-8342 निर्धारित किया था। खजाना अधिकारी निधियां अंतरण के लिए समेकित बिल तैयार करने के बाद, खजाना बैंक से बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान करने का अनुरोध करता है और अंशदाता-वार विवरण देने वाले जमा का समेकित विवरण बाद में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को भेज दिया जाता है।

मुख्य शीर्ष	8342-अन्य जमा
उप मुख्य शीर्ष	51-लागू नहीं
लघु शीर्ष	117-सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
उप शीर्ष	99-हरियाणा की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
विस्तृत शीर्ष	99-टियर-I के अंतर्गत सरकारी सेवकों का अंशदान
विस्तृत शीर्ष	98-टीयर-1 के अंतर्गत सरकार का अंशदान
वस्तु शीर्ष	10-अंशदान (उपर्युक्त विवरण शीर्ष 99 और 98 के अंतर्गत)

2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के अंशदान को निर्धारित लेखा शीर्षों के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष: मुख्य शीर्ष-8342 के अंतर्गत "99-टियर-I के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान" में जमा किया जा रहा था। निर्धारित लेखा शीर्षों का अननुपालन के कारण कर्मचारियों और नियोक्ताओं की श्रेणियों के अंतर्गत अंशदान की राशि को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने स्वीकार किया कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान विस्तृत शीर्ष "99-टियर-I के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का अंशदान" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के अंशदान को सही विस्तृत शीर्ष में सुनिश्चित करना चाहिए।

5.7.9 अन्य सूचना प्रौद्योगिकी मुद्दे

5.7.9.1 सुरक्षा लेखापरीक्षा/साइबर सुरक्षा

हरियाणा राज्य में सूचना/साइबर सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आई.एस.एम.ओ.) नामक एक समर्पित संगठनात्मक संरचना, हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 मार्च, 2014 को आयोजित 30वीं बैठक में, राज्य की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी समिति[16] द्वारा बनाई गई थी। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में तैनात किया गया था, जो सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों को सपोर्ट करने में सक्षम थी। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को प्रत्येक परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार भेद्यता आकलन और भेदन परीक्षण करना अपेक्षित था ताकि सुरक्षा कमियों का पता लगाया जा सके और उनका सक्रिय ढंग से समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा की एप्लिकेशन सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य के डोमेन के भीतर होस्ट किए गए एप्लिकेशनों के लिए निवारक रखरखाव के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एप्लिकेशन हेतु विभिन्न सुरक्षा मुद्दों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए निरंतर लेखापरीक्षा आयोजित करने का मूल्यांकन किया गया था। इस नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य डोमेन के भीतर प्रत्येक एप्लिकेशन को सार्वजनिक होस्टिंग से पहले सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय या सी.ई.आर.टी.-इन पैनलबद्ध सूचना सुरक्षा ऑडिटिंग संगठन की ओर से सुरक्षा लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। एप्लिकेशन सुरक्षा भेद्यता का आकलन होस्टिंग से पहले किया जाना था और सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित होस्टिंग के लिए मंजूरी जारी की जाएगी। आगे, वर्तमान एप्लिकेशन में किसी भी नए वर्जन/मॉड्यूल/कोड रिलीज या अपग्रेड के संबंध में हर छः माह में एक आंतरिक समीक्षा की सिफारिश की गई थी।

---

[16] आई.टी. प्रिज्म के नाम से जानी जाती है।

सामान्य तौर पर, किसी एप्लिकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. केवल एप्लिकेशन स्तर पर

ख. प्लेटफार्म के साथ एप्लिकेशन

यह देखा गया था कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पांच मॉड्यूल में से ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली, ई-पेंशन, ई-बिलिंग और ई-ग्रास की अंतिम सुरक्षा लेखापरीक्षा 2022 में की गई थी। ई-बजट मॉड्यूल की लेखापरीक्षा 2021 में की गई थी।

5.7.9.2 कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा (2017) की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार, घटना, दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कार्य की निरंतरता के महत्व को समझते हुए, हरियाणा सरकार को कार्य निरंतरता योजना को डिजाइन और विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय को अधिकृत करना था, जिसे सभी सरकारी वेब साइटों और बुनियादी ढांचे के प्रति खतरों की निरंतर निगरानी के लिए हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (एच.एस.-सी.ई.आर.टी.)[17] के अंतर्गत सुरक्षा संचालन केंद्र (एस.ओ.सी.) की स्थापना करके प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना अपेक्षित था। सुरक्षा संचालन केंद्र के निम्नलिखित उत्तरदायित्व थे:

क) उच्चतम स्तर पर साइबर खतरों के विरुद्ध सभी हितधारकों (हरियाणा राज्य के आई.एस.पी., विभाग, संगठन आदि) के साथ सहयोग और सहभागिता की सुविधा प्रदान करना; तथा

ख) नीति अपडेशन और विश्लेषण के लिए संबंधित हितधारकों के साथ साइबर सुरक्षा फोरम बनाना।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी.आई.एस.ओ.) (राज्य द्वारा नामित) को राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा मुद्दों के लिए सुरक्षा प्रयासों और घटना प्रतिक्रिया का समन्वय करके और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संबंधित विभागों में समर्पित उत्तरदायी सदस्यों की तैनाती के माध्यम से उच्चतम स्तर पर साइबर सुरक्षा के फोरम का समन्वय करना था।

हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (एच.एस.-सी.ई.आर.टी.) को मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एकजुट होकर काम करने के लिए सी.ई.आर.टी.-इन और अन्य समर्थित संगठनों के साथ मिलकर साइबर कार्यवाही सहित संकट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करनी थी।

[17] हरियाणा राज्य-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम।

लेखापरीक्षा ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा द्वारा तैयार की गई कार्य निरंतरता योजना (बी.सी.पी.) और आपदा रिकवरी योजना (डी.आर.पी.) का विवरण मांगा था। तथापि, आज तक लेखापरीक्षा को कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन योजनाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा को यह आश्वासन नहीं मिल सकता है कि क्या हरियाणा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन के लिए कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना की एक मजबूत प्रणाली विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय का मुख्य सर्वर सेक्टर 17, चंडीगढ़ में स्टेट डेटा सेंटर में स्थित है और विभाग के पास जनवरी 2023 तक आपदा रिकवरी सर्वर नहीं है और उसने हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ में एक आपदा रिकवरी साइट की मांग की है, अर्थात हरियाणा में सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय के लिए प्राथमिक सर्वर जहां स्थित है (अक्तूबर 2022) उसके समीप। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आपदा रिकवरी सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, आपदा रिकवरी (डी.आर.) साइट मुख्य सर्वर के स्थान से कम से कम 100 किलोमीटर दूर स्थित होनी चाहिए। तथापि, इस मामले में, राज्य डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी योजना की प्रस्तावित साइट के मध्य की दूरी लगभग 4.4 किलोमीटर है।

मामला सरकार के संज्ञान में लाया गया था (अक्तूबर 2022)। एग्जिट मीटिंग के दौरान विभाग ने बताया कि कार्य निरंतरता योजना को सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा; आपदा रिकवरी योजना के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा।

5.8 निष्कर्ष

कार्यान्वयन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी, 284 कार्यात्मकताएं[18] क्रियान्वित की जानी शेष हैं। विभिन्न कार्य उद्देश्यों की प्राप्तियों को जांचने के लिए बेंचमार्क परिभाषित नहीं किए गए थे। अपर्याप्त तार्किक पहुंच नियंत्रण के कारण सिस्टम को अनधिकृत पहुंच के जोखिम का सामना करना पड़ा। अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों के कारण निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के उल्लंघन में बिलों की प्रोसेसिंग हुई। यूनिक आदाता कोड के जनरेशन के दौरान पर्याप्त इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण अमान्य पैन की स्वीकृति हुई और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता से समझौता हुआ। ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री पर ध्यान के लिए पूर्ण ऑडिट ट्रेल का रखरखाव नहीं किया गया था। पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में अधिकतम सीमा से अधिक ग्रेच्युटी के भुगतान, पेंशन और छुट्टी यात्रा रियायत की दोहरी निकासी के मामले पाए गए थे। अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों के कारण अमान्य चालानों के विरुद्ध जमा स्वीकार करने के मामले देखे गए थे।

---

[18] ई-बजट में (235), ई-बिलिंग में (37), ई-पेंशन में (05) और ई-ग्रास में (07)

जबकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल विकसित करने की पहल "राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना" के खजाना कम्प्यूटरीकरण मिशन मोड कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी, इन मॉड्यूलों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया और एक निश्चित समयावधि में तैनात किया गया था। इसके बाद इन मॉड्यूलों को चार वर्षों की अवधि में एक-दूसरे से जोड़ा गया तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न परिवर्तन किए गए। जैसा कि उपर्युक्त रिपोर्ट में बताया गया है, इन मॉड्यूलों को स्केलेबिलिटी की कार्यात्मकताओं के साथ विकसित नहीं किया गया था, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य के महालेखाकार और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों जैसी विभिन्न संस्थाओं के साथ सहज एकीकरण संभव हो पाता। यह एकीकरण वास्तविक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संभावित लाभ को अधिकतम रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक था।

5.9 सिफारिशें

ये सिफारिश की जाती है कि:

क. विभाग बढ़ी हुई दक्षता के संदर्भ में प्राप्तियों को जांचने हेतु मूल्यांकन करने पर विचार करे और अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति को जांचने और दिशानिर्देश बनाने के लिए मानक तय करे।

ख. विभाग सिस्टम में शामिल करने के लिए अपेक्षित कार्यात्मकताओं की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए समीक्षा करे।

ग. विभाग, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकास/उन्नयन के भविष्य के चरणों के लिए, स्केलेबल कार्यक्षमताओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकता है जो भारतीय रिजर्व बैंक, हरियाणा के महालेखाकार और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जैसे प्लेटफार्मों जैसे हितधारक संस्थाओं के साथ सहज एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस रणनीतिक बदलाव से न केवल परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि वास्तव में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से लाभों की व्यापक प्राप्ति भी सुनिश्चित होगी।

घ. विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम और प्रतिपूर्ति पर एक कार्यक्षमता शामिल करे, जिसे सिस्टम में ट्रैक किया जा सके।

ङ. विभाग प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संस्वीकृति की कार्यक्षमता को शामिल करने पर विचार करे।

च. उपयोगकर्ता के लिए केवल प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

छ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी गतिविधियों के ऑडिट लॉग को कैप्चर किया जाता है तथा ऑडिट ट्रेल्स सुनिश्चित करने के लिए डाटाबेस में रखा जाता है।

ज. यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सत्यापन नियंत्रण को और मजबूत किया जाए कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के प्रत्येक चरण से गुजरा है।

झ. केवल वैध पैन को स्वीकार करने और यूनिक आदाता कोड की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक सत्यापन जांच शुरू की जाए।

ञ. बिल ट्रांजेक्शन की प्रगति विशेषकर समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिलों के आहरण की निगरानी के लिए पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट/डैशबोर्ड प्रदान किया जाए।

ट. पेंशन संवितरण सेल, बैंक और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के पास उपलब्ध पेंशनरों की मुख्य विशेषताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जाए।

ठ. विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान नियमों के अनुपालन के लिए पेंशन से संबंधित अपेक्षित नियमों/प्रावधानों की मैपिंग सुनिश्चित करे।

ड. विभाग ग्रेच्युटी शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित सत्यापन जांच को शामिल करने पर विचार करे और पेंशनरों के लिए स्रोत से कर कटौती उद्देश्य के लिए अपनी बचत का विवरण प्रस्तुत करने की कार्यक्षमता भी शामिल करे।

ढ. जंक डेटा से बचने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल के मास्टर तालिका में वैध वैल्यू को कैप्चर करने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।

ण. विभाग प्रावधानों के अनुसार अनुमत न होने वाले पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित करने के लिए बजट मैनुअल के अनुरूप, बजट मॉड्यूल के अंतर्गत निर्धारित सत्यापन जांच को शामिल करने पर विचार करे।

त. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की समीक्षा की जाए कि सरकारी लेखा से धन की निकासी और जमा के लिए लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।

थ. विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लोक निर्माण/वन लेखों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए।

द. विभाग सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय, हरियाणा (आईएसएमओ) की सिफारिशों पर कार्य निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना दस्तावेज तैयार करने पर विचार करे और भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में आपदा रिकवरी साइट के लिए एक वैकल्पिक साइट की पहचान भी करे।

ध. राज्य सरकार को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसमें पर्याप्त उन्नयन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सुधारों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ पूर्ण एकीकरण भी सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे वास्तविक समय में डेटा का आदान-प्रदान और प्रभावी निगरानी हो सके, जिससे आईटी गवर्नेंस लाभ को अधिकतम किया जा सके।

चंडीगढ़ **(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)**

दिनांक: 28 अक्टूबर 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 11 नवंबर 2024 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**